

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-273

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव

*273. श्री संजय जाधव:

श्री ओम पवन राजेंनिंबालकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत महाराष्ट्र के जिलों सहित राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है:

(ख) उक्त योजना के तहत महाराष्ट्र के जिलों सहित राज्य-वार कितने घरों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लाभ कमाने वाले निकाय बनने में मदद करने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (उदय) को अपनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;

(घ) देश में 'उदय' के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उन राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो उक्त योजना के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव” के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 273 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : भारत सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) प्रारंभ की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत पूरे देश में 28 अप्रैल, 2018 तक जनगणना 2011 के अनुसार सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था। स्कीम के अंतर्गत कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। पूरे देश में महाराष्ट्र सहित विद्युतीकृत आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वर्ष 2015 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत बीपीएल घरों के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** पर संलग्न हैं।

(ग) से (ड) : सरकार द्वारा राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से दिनांक 20.11.2015 को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय कायापलट की स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), आरंभ की गई थी।

उदय स्कीम से कुल 32 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जुड़े थे जिनमें से, 16 राज्यों अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश ने प्रचालन के साथ-साथ वित्तीय कायापलट के लिए उदय एमओयू पर हस्ताक्षर किए जबकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र केवल प्रचालनात्मक कायापलट में शामिल हुए। जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की केवल एक राज्य के रूप में गणना की गई है क्योंकि हस्ताक्षरित उदय एमओयू एकल राज्य के लिए था। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कीम में शामिल नहीं हुए।

उदय स्कीम उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्रों में दक्षता सुधारों तथा वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कायापलट के समग्र उद्देश्य से आरंभ की गई थी। परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटीलिटियों ने समग्र सुधार की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्तीय वर्ष 2016 के 23.70% से वित्तीय वर्ष 2020 में 20.93% तक कमी और (ii) औसत आपूर्ति लागत में कमी (एसीएस)- औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर वित्तीय वर्ष 2016 में 0.48 प्रति किलोवाट घंटा से घटकर वित्तीय वर्ष 2020 में 0.30 प्रति किलोवाट घंटा रह गया है। राज्यों के एटीएंडसी हानियों तथा एसीएस-एआरआर अंतर के प्रदर्शन के ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-III** तथा **अनुबंध-IV** पर संलग्न हैं।

अनुबंध-1

“डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव” के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 273 के विवरण के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014-15 से दिनांक 28.04.2018 तक आवासित जनगणना गांवों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,483
2	असम	2,732
3	बिहार	2,906
4	छत्तीसगढ़	1,078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू और कश्मीर	129
7	झारखंड	2,583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1,051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3,281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	18,374

अनुबंध-II

“डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव” के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 273 के विवरण के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बीपीएल घरों की वर्ष-वार निर्मुक्ति

क्रम सं.	राज्य	दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	729553
2	अरुणाचल प्रदेश	8291
3	असम	782370
4	बिहार	3385597
5	छत्तीसगढ़	163551
6	गुजरात	5060
7	हरियाणा	5419
8	हिमाचल प्रदेश	43
9	जम्मू और कश्मीर	53666
10	झारखंड	675174
11	कर्नाटक	369626
12	केरल	136193
13	मध्य प्रदेश	1047133
14	महाराष्ट्र	386498
15	मणिपुर	48799
16	मेघालय	2639
17	मिजोरम	1915
18	नागालैंड	60701
19	ओडिशा	1629495
20	पंजाब	0
21	राजस्थान	410604
22	सिक्किम	5271
23	तमिलनाडु	23496
24	तेलंगाना	539306
25	त्रिपुरा	82019
26	उत्तर प्रदेश	2127011
27	उत्तराखंड	7251
28	पश्चिम बंगाल	81939
29	दादरा और नगर हवेली	0
30	पुदुचेरी	0
	कुल	12768620

“डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव” के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 273 के विवरण के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एटी एंड सी हानियों के राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	24.04	24.05	22.15	22.57	21.73
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	10.36	13.77	14.26	25.67	10.77
अरुणाचल प्रदेश	54.58	53.64	58.36	55.50	45.71
असम	26.02	20.11	17.64	20.14	23.37
बिहार	43.30	43.34	33.51	33.30	40.38
चंडीगढ़ (गैर-उदय संघ राज्य क्षेत्र)			4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	22.10	23.87	22.50	29.81	23.68
दादरा और नगर हवेली			6.55	5.45	3.56
दमन और दीव			17.01	6.19	4.07
गोवा	19.77	24.33	13.52	15.69	13.99
गुजरात	16.23	14.42	12.96	13.99	11.95
हरियाणा	29.27	26.42	21.78	18.08	18.19
हिमाचल प्रदेश	9.68	11.48	11.08	12.46	11.68
जम्मू और कश्मीर	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
झारखंड	33.34	35.95	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	17.13	16.84	15.61	19.83	17.59
केरल	12.40	13.42	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप			19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	27.37	26.80	30.51	36.64	30.38
महाराष्ट्र	21.74	22.84	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	31.72	33.01	27.50	38.17	20.27
मेघालय	45.98	38.81	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	35.18	24.98	22.44	16.20	20.66
नागालैंड	33.44	38.50	41.36	40.06	52.93
ओडिशा (गैर-उदय राज्य)	38.60	37.19	33.59	31.55	28.94
पुदुचेरी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
पंजाब	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	31.59	27.33	24.07	28.25	29.85
सिक्किम	43.89	35.62	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	14.01	15.19	19.08	17.80	21.54
त्रिपुरा	32.68	31.79	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	39.76	40.91	37.80	33.19	30.05
उत्तराखंड	18.01	16.68	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल (गैर-उदय राज्य)	28.08	27.83	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	12.44	10.80	9.36	8.28	8.00
दिल्ली	12.44	10.80	9.93	9.17	8.19
गुजरात			6.53	5.20	4.59
महाराष्ट्र				8.20	9.52
उत्तर प्रदेश			9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल			10.74	8.95	9.06
कुल जोड़	23.70	23.66	21.50	21.74	20.93

“डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांव” के बारे में लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 273 के विवरण के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्राप्त टैरिफ सब्सिडी आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (रुपये/केडब्ल्यूएच)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	0.50	0.39	0.32	0.54	0.35
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.86	19.47	19.58
आंध्र प्रदेश	0.80	0.52	0.09	2.67	(0.19)
अरुणाचल प्रदेश	0.49	3.65	4.64	4.27	4.92
असम	0.23	0.06	(0.32)	(0.32)	(0.36)
बिहार	0.46	0.51	0.68	0.61	0.92
चंडीगढ़ (गैर-उदय यूटी)			(1.64)	(0.26)	(0.82)
छत्तीसगढ़	(0.01)	0.21	0.23	0.45	0.17
दादरा और नगर हवेली			0.01	(0.02)	(0.03)
दमन और दीव			(1.38)	(0.61)	(0.30)
गोवा	0.71	0.70	(0.06)	0.39	0.60
गुजरात	(0.02)	(0.05)	(0.06)	(0.02)	(0.06)
हरियाणा	0.16	0.04	(0.08)	(0.05)	(0.06)
हिमाचल प्रदेश	(0.31)	0.18	0.03	(0.09)	(0.02)
जम्मू और कश्मीर	3.00	2.65	1.85	1.72	2.03
झारखंड	0.93	1.39	0.16	0.58	0.87
कर्नाटक	0.01	0.29	0.30	0.24	0.39
केरल	0.30	0.62	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप			19.11	20.30	18.22
मध्य प्रदेश	0.87	0.18	0.78	1.29	0.69
महाराष्ट्र	0.21	0.06	(0.13)	(0.19)	(0.19)
मणिपुर	0.02	0.06	(0.02)	0.34	0.08
मेघालय	0.82	1.66	1.16	0.85	1.80
मिजोरम	2.06	2.12	(1.30)	1.18	(1.94)
नागालैंड	0.20	0.81	0.81	4.09	5.62
ओडिशा (गैर-उदय राज्य)	0.39	0.38	0.32	0.60	0.34
पुदुचेरी	(0.02)	0.03	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	0.53	0.65	0.48	(0.07)	0.17
राजस्थान	1.83	0.50	(0.09)	0.06	0.31
सिक्किम	2.09	1.20	0.25	0.02	0.54
तमिलनाडु	0.67	0.50	0.89	1.32	1.27
तेलंगाना	0.74	1.23	1.12	1.38	1.09
त्रिपुरा	0.42	(0.15)	(0.09)	(0.06)	0.43
उत्तर प्रदेश	0.29	0.33	0.45	0.54	0.34
उत्तराखंड	0.10	0.24	0.18	0.38	0.38
पश्चिम बंगाल (गैर-उदय राज्य)	(0.04)	0.04	(0.02)	(0.01)	(0.12)
निजी क्षेत्र	(0.10)	(0.16)	(0.44)	(0.38)	(0.48)
दिल्ली	(0.10)	(0.16)	(0.19)	(0.26)	(0.37)
गुजरात			(0.50)	(0.26)	(0.52)
महाराष्ट्र				(0.15)	(0.22)
उत्तर प्रदेश			(1.34)	(0.97)	(0.69)
पश्चिम बंगाल			(0.93)	(0.99)	(0.94)
कुल जोड़	0.48	0.37	0.28	0.49	0.30

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3020

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत भार गुणांक

3020. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत उत्पादन के लिए देश की संस्थापित क्षमता 7-8 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या समय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी ऊर्जा स्रोतों के प्रात्यक्षिक हिस्सों में कमी आई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ङ) क्या देश में विद्युत भार गुणांक (पीएलएफ) बेहद कम है और इसे सुधारने के लिए बहुत कम प्रयास किए जा रहे हैं;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (छ) पीएलएफ में सुधार के लिए किसी ठोस कदम को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : इस समय, देश में विद्युत मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त संस्थापित क्षमता है। दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 215.89 गीगावॉट की व्यस्ततम विद्युत मांग, जो अप्रैल, 2022 माह में हुई थी, के निमित्त देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 403.76 गीगावाट (जीडब्ल्यू) थी।

देश में विद्युत की मांग में लगातार हो रही वृद्धि की पूर्ति के लिए, देश में 27,550 मेगावाट की कुल क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाएं (39 इकाईयां) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, देश में कुल 14,103.5 मेगावाट की 36 जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। इसके अलावा, 8,700 मेगावाट क्षमता के नाभिकीय विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं और 7,000 मेगावाट के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(ग) और (घ) : विगत 10 वर्षों में अन्य ऊर्जा स्रोतों (कोयला, लिग्नाइट, गैस, नाभिकीय आदि) का हिस्सा 68.23% से घटकर 60.15% रह गया है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (सौर, पवन, जल विद्युत आदि) क्षमता 31.77% से बढ़कर 39.85% हो गई है। यह एक स्वागत योग्य गतिविधि है और हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने का परिणाम है।

(ङ) से (छ) : इकाईयों का पीएलएफ कुल ऊर्जा मांग, जल विद्युत, नाभिकीय, गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा आदि विभिन्न स्रोतों से उत्पादन जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इसके साथ-साथ, स्टेशन का पीएलएफ योजित अनुरक्षण के लिए कटौतियों, जबरन कटौतियों, ईंधन की अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा की उपलब्धता, पारेषण नेटवर्क आदि की उपलब्धता जैसे अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। इस समय, वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र हेतु पीएलएफ 69.5% है।

ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार का नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा के उत्पादन पर जोर है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (सौर, पवन तथा लघु जल विद्युत) को 'मस्ट रन स्टेटस' प्रदान किया गया है, इसलिए इसका प्राथमिकता के आधार पर प्रेषण किया जाता है और जल विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन का भी सामान्यतया पूर्ण उपयोग होता है। कोयला/लिग्नाइट आधारित संयंत्रों का उपयोग ताप विद्युत स्टेशनों से अपेक्षित शेष उत्पादन पर निर्भर करता है, और आने वाले समय में ऐसे जीवाश्म आधारित संयंत्रों का पीएलएफ कम होने की संभावना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3033

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

उजाला के तहत एल.ई.डी. वितरण

3033. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
डॉ. रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:
श्री एस.सी. उदासी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी के लिए किफायती एल.ई.डी. (उजाला) योजना द्वारा उन्नत ज्योति के तहत वितरित ऊर्जा कुशल और सस्ती एल.ई.डी. की कुल मात्रा कितनी है और इससे बचाई गई किलोवाट ऊर्जा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उजाला योजना ने वार्षिक घरेलू बिजली बिलों को कम करने में किस हद तक मदद की; और

(ग) देश भर में उजाला योजना के तहत एल.ई.डी. बल्बों के वितरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को नामांकित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान, उन्नत ज्योति बॉय अफॉर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) स्कीम के अंतर्गत 14.3 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 18.6 बिलियन यूनिट (केडब्ल्यूएच) की अनुमानित वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है। इन उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में कुल 7440 करोड़ रुपये (4 रुपये प्रति यूनिट की कीमत पर) की वार्षिक कमी होने का अनुमान है।

(ग) : उजाला स्कीम के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूह को नामांकित करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) उजाला स्कीम के अंतर्गत एलईडी बल्बों की बिक्री के लिए स्टेट रूल लिवलीहुड मिशन (एसआरएलएम) और संबंधित एसआरएलएम द्वारा नामित स्वयं-सहायता समूह के साथ एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है। इच्छुक एसआरएलएम नामांकन के लिए ईईएसएल से संपर्क कर सकते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3036

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना

3036. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

श्री शंकर लालवानी:

डॉ. मनोज राजोरिया:

श्रीमती रंजीता कोली:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना सृजित करने और इसे बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:

(ग) सरकार द्वारा इन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन राजसहायता और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशनों का राजस्थान सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा संपूर्ण देश में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां चार्ज करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

- (ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा के लिए तकनीकी मानक संबंधी विनियमों में संशोधन जारी किया है।
- (iii) देश में ई-मोबिलिटी पारगमन में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को समेकित संशोधित दिशानिर्देश और चार्जिंग अवसंरचना के लिए मानदंड जारी किए गए हैं।
- (iv) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का चयन इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलें करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया है।
- (v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग सहित विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए दिनांक 19.02.2021 को एक राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया है।
- (vi) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा 9 प्रमुख शहरों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इन शहरों में वर्ष 2030 तक कुल 46,397 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) को लक्षित किया जा रहा है।
- (vii) सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परिवर्तनकारी गतिशीलता संबंधी भारत सरकार की पहल में शामिल हों और अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े को वर्तमान पेट्रोल/डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करें।
- (viii) देश में राजस्थान राज्य सहित 2836 प्रचालनरत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) हैं। राज्यों में पीसीएस के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।
- (ix) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संबंध में मॉडल बिल्डिंग उप-नियम तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं, निर्माण और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के त्वरित अधिग्रहण एवं विनिर्माण (फेम) को क्रियान्वित किया जा रहा है। एमएचआई ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-1 के अंतर्गत 520 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचना की संस्वीकृति दी थी। इसके अतिरिक्त, एमएचआई ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-2 के अंतर्गत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों और 9 एक्सप्रेसवे एवं 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को भी संस्वीकृति दी है। फेम इंडिया स्कीम-I एवं II के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 532 चार्जिंग स्टेशन (फेम-I के अंतर्गत 479 और फेम-II के अंतर्गत 53) संस्थापित किए गए हैं।

वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय आधार (राजस्थान सहित) पर कुल 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह चरण सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर केंद्रित है तथा सब्सिडी के माध्यम से, 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-थ्री व्हीलरों, 55000 ई-4 व्हीलर यात्री कारों और 10 लाख ई-टू व्हीलरों को समर्थन देने का लक्ष्य है। इसके साथ-साथ, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज से संबन्धित उत्कंठा को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण का भी समर्थन किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3036 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य-वार प्रचालनात्मक सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्रम सं.	राज्य	प्रचालनात्मक पीसीएस (सं.)
1	आंध्र प्रदेश	100
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	12
4	बिहार	8
5	चंडीगढ़	7
6	छत्तीसगढ़	11
7	दिल्ली	504
8	गोवा	18
9	गुजरात	55
10	हरियाणा	88
11	हिमाचल प्रदेश	8
12	जम्मू	2
13	झारखंड	16
14	कर्नाटक	501
15	केरल	95
16	मध्य प्रदेश	33
17	महाराष्ट्र	573
18	मणिपुर	1
19	मेघालय	12
20	नागालैंड	2
21	ओडिशा	24
22	पुदुचेरी	2
23	पंजाब	22
24	राजस्थान	54
25	सिक्किम	1
26	तमिलनाडु	276
27	तेलंगाना	173
28	त्रिपुरा	2
29	उत्तर प्रदेश	159
30	उत्तराखंड	23
31	पश्चिम बंगाल	42
	कुल	2826

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3038

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

सीएसआर निधि के माध्यम से किए गए कार्य

3038. श्रीमती रेखा अरूण वर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा किए गए कार्यों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) टांडा/ऊंचाहार स्टेशनों से लगभग 170/195 किलोमीटर दूर स्थित है। धौरहरा संसदीय क्षेत्र में कुल 62 लाख रुपये की लागत से कुल 155 ऊर्जा दक्ष पंप संस्थापित किए गए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3048

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

सौर ऊर्जा चालित संयंत्रों के लिए बीईएसएस

3048. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी:

श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न सौर ऊर्जा चालित संयंत्रों द्वारा सर्जित ऊर्जा के भंडारण के लिए देश में स्थापित लिथियम-आयन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने देश में बीईएसएस को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में अब तक मेहसाणा, गुजरात (19.2 मेगावाट), दिल्ली (10 मेगावाट/10 मेगावाट) और अंडमान (16 मेगावाट/8 मेगावाट) में तीन ली-आयन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) परियोजनाएं (5 मेगावाट से ऊपर) शुरू की गई हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक कोई परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) और (ग) : सरकार ने देश में बीईएसएस के विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

- i. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए कानूनी स्थिति पर परिपत्र दिनांक 29 जनवरी, 2022 को जारी किया गया है।
- ii. बीईएसएस चार्जिंग पर आईएसटीएस प्रभारों की छूट दिनांक 23 नवंबर, 2021 के आदेश द्वारा प्रदान की गई है।
- iii. दिनांक 10 मार्च 2022 को जारी आनुषंगिक सेवाओं के साथ-साथ उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में बीईएसएस की खरीद और उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- iv. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) ने 500मेगावाट/ 1000 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) की पायलट परियोजना के लिए ग्रिड सपोर्ट और वाणिज्यिक आधार पर व्यस्ततम उत्पाद के संयोजन के रूप में टैरिफ-आधारित वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
- v. एसईसीआई ने सुनिश्चित व्यस्ततम विद्युत आपूर्ति के साथ 1200 मेगावाट की संचयी क्षमता की आरई परियोजनाओं को सम्मानित किया है, जिसमें आरई विकासकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं में ऊर्जा भंडारण प्रणाली (600 मेगावाट की राशि) स्थापित करनी है, जिसमें अन्य भंडारण प्रौद्योगिकियों में बीईएसएस भी शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3051

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

एनटीपीसी कायमकुलम में विद्युत का उत्पादन

3051. एडवोकेट ए. एम. आरिफ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का केरल के कायमकुलम में एनटीपीसी बिजली संयंत्र में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करके बिजली का उत्पादन फिर से शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केईएसबी) लिमिटेड 28.02.2025 तक एनटीपीसी को सौ करोड़ रुपये का वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) दे रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार एएफसी से एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय, कायमकुलम के संचालन के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के आवर्ती व्यय का भुगतान करने पर विचार करेगी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट (आरजीसीसीपीपी) एक नापथा ईंधन प्रज्ज्वलित स्टेशन है। विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार द्वारा इस स्टेशन से संपूर्ण विद्युत (359.58 मेगावाट) को केरल राज्य को आबंटित किया गया है। नापथा मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होने पर, केरल ने उच्च ऊर्जा प्रभार दर के कारण विद्युत की शिड्यूलिंग रोक दी। तथापि, अभी भी, इस स्टेशन को उचित सूचना के बाद नापथा पर उत्पादन हेतु तैयार रखा गया है।

केएसईबीएल की सहमति से कायमकुलम में बहु-ईंधन प्रज्ज्वलन प्रणाली संस्थापित की गई है जिससे यह प्रणाली वर्तमान नापथा प्रज्ज्वलन के अतिरिक्त गैस प्रज्ज्वलन के लिए भी उपयुक्त हो गई है।

तथापि, केरल पीएलएल (पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड) के, कायमकुलम से लगभग 120 किमी दूर स्थित, कोच्चि रिगैसीफिकेशन टर्मिनल से परिवहन के लिए पाईपलाइन के विकल्प हेतु सहमत नहीं हुआ है।

(ख) : केरल राज्य की दीर्घावधिक आधारित मांग की पूर्ति के लिए उसके अनुरोध के आधार पर आरजीसीसीपीपी, कायमकुलम स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापना संयंत्र के संपूर्ण उपयोगी कार्यकाल में टैरिफ (निश्चित प्रभार सहित) के माध्यम से इसकी लागत की वसूली के लिए की गई है। टैरिफ/निश्चित प्रभार सीईआरसी (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग), एक सांविधिक निकाय, द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

वर्तमान में, नापथा मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि के कारण, केरल ने उच्च ऊर्जा प्रभार दर के कारण विद्युत की शिड्यूलिंग रोक दी है। तदनुसार, परस्पर चर्चा तथा सहमति के बाद एक विशेष व्यवस्था विकसित की गई है; जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई थी कि केरल लगभग 240 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के निश्चित प्रभारों की तुलना में दिनांक 01.04.2019 से निश्चित प्रभारों के रूप में 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का भुगतान करेगा। इस स्टेशन को उचित सूचना के बाद नापथा पर उत्पादन हेतु तैयार रखा गया है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित मामला न्यायाधीन है, प्रकरण संदर्भ उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2022 की एसएलपी(सी) सं.6030 है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3058
जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

स्वच्छ विद्युत तक पहुंच

3058. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के सैंतीस प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को बिजली की अविरत आपूर्ति प्राप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ बिजली की उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई ठोस योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : बिहार राज्य सरकार ने दिनांक 25.10.2018 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के अंतर्गत सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% घरेलू विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार में कुल 32,59,041 घरों का विद्युतीकरण किया गया था।

(ग) और (घ) : आरंभ की गई नई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, कुसुम स्कीम के साथ सम्मिलन अभिकल्पित है, जिसके अंतर्गत कृषि के लिए पृथक किए गए फीडरों को सौरकृत किया जाएगा। इससे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति में वृद्धि हो सकेगी। इस सम्मिलन के तहत बिहार राज्य में कुल 1351 फीडरों को सौरकृत करने की योजना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3059

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

सल्फर नियामक प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन

3059. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थर्मल पावर स्टेशनों से निकलने वाले काले धुएं में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी अधिष्ठापित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई समय-सीमा के बाद भी कई बिजली कंपनियों ने अभी तक इस तकनीक को अधिष्ठापित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों को सल्फर नियामक प्रौद्योगिकी अधिष्ठापित करने में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के सभी ताप विद्युत स्टेशनों में सल्फर नियामक प्रौद्योगिकी की तत्काल स्थापना के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा यथा अधिसूचित, उत्सर्जन मानकों तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है। एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिनांक 31.03.2021 को जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचना में दी गई समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालना करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए निम्नलिखित समय-सीमा तथा दंड प्रावधान प्रदान किए गए हैं:

श्रेणी और विवरण	अनुपालन के लिए समय-सीमा	समय-सीमा से इतर गैर-अनुपालना के लिए पर्यावरण मुआवजा (रुपये प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)
-----------------	-------------------------	--

		0-180 दिन	180-365 दिन	366 दिन और उससे आगे
श्रेणी क - एनसीआर के 10 किमी के दायरे में या भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर।	31.12.2022 तक	0.10	0.15	0.20
श्रेणी ख - सीपीसीबी द्वारा परिभाषित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में।	31.12.2023 तक	0.07	0.10	0.15
श्रेणी ग - श्रेणी क और ख में शामिल शहरों के अलावा।	31.12.2024 तक	0.05	0.075	0.10

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, श्रेणी क संयंत्रों के लिए अनुपालना हेतु निकटतम समय सीमा दिनांक 31.12.2022 से शुरू होती है।

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ₂) उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकियों में से एक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र की तापविद्युत उत्पादन यूनिटों द्वारा एफजीडी की संस्थापना के लिए प्रदान किए गए कार्यों का प्रतिशत क्रमशः 86.6%, 12.1% और 25.1% है।

एफजीडी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सल्फर उत्सर्जन मानदंडों के क्रियान्वयन में ताप विद्युत संयंत्रों के समक्ष निम्नलिखित बाधाएं हैं:

- (i) अवार्ड करने की तारीख से एफजीडी कमीशनिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम समय अवधि 36-42 माह है।
- (ii) विक्रेताओं की सीमित उपलब्धता।
- (iii) घटकों की सीमित आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि
- (iv) आपूर्ति श्रृंखला और जनशक्ति उपलब्धता पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3074

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली आधारित खाना पकाना

3074. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिजली आधारित खाना पकाने की पहुंच का ब्यौरा क्या है जो ऊर्जा आयात निर्भरता में कमी करने में मदद करता है जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है;
- (ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आधारित खाना पकाने की पहुंच कहां तक है; और
- (ग) गुजरात राज्य सहित देश में बिजली आधारित खाना पकाने की सर्वाधिक पहुंच वाले शहर/नगर/गांव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय अथवा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों द्वारा विद्युत आधारित कूकिंग में पैठ बनाने के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, स्वच्छ और सुरक्षित कूकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई), ने इंडक्शन हॉब्स के लिए निष्पादन बेंचमार्क निर्धारित किए हैं और इस उत्पाद श्रेणी के बाजार स्वीकार्यता को समझने के लिए एक बाजार मूल्यांकन अध्ययन किया गया है जिसमें वर्ष 2018-19 में इंडक्शन हॉब्स के लिए लगभग 40 लाख यूनिट का बाजार होने का अनुमान लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राप्त बाजार आंकड़ों के आधार पर, यह सूचित किया गया था कि लगभग 60% इकाइयों को स्थानीय रूप से निर्मित किया जा रहा है, जबकि उनके घटकों को आयात किया जाता है, शेष 40% इकाइयों को पूरी तरह से निर्मित अवस्था में आयात किया जा रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3079

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत स्वीकृत कार्य

3079. श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित, जारी और व्यय की गई है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत अभी बड़ी संख्या में कार्य पूरे किए जाने शेष है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देशभर में गांवों के कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग तथा विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आरंभ की और तत्कालीन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत समाहित किया गया था। इस स्कीम के तहत कार्य पूरे हो चुके हैं और दिनांक 31.03.2022 को यह स्कीम बंद कर दी गई है।

परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, आवंटित, जारी की गई और व्यय की गई निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत, जो अब दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है, सभी राज्यों ने पहले ही क्रमशः दिनांक 28 अप्रैल 2018 को सभी गांवों और 31 मार्च, 2019 को सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी थी।

यद्यपि, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18374 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था, तथापि सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों, जिसमें दो चरणों में अतिरिक्त घर शामिल थे, का विद्युतीकरण किया गया था, जो दिनांक 31.03.2019 के बाद इच्छुक हो गए थे, लेकिन पहले विद्युतीकरण के लिए अनिच्छुक थे।

यद्यपि नए घरों का उभर कर आना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण पर वितरण यूटिलिटीयों द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार सौभाग्य से पहले अभिचिन्हित किए गए सभी घरों का विद्युतीकरण करने में राज्यों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3079 के भाग (क) और (ख) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई (नई+ अतिरिक्त अवसंरचना)

वर्ष 2014-15 (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार) से राज्य-वार वित्तीय और वास्तविक अवसंरचना सृजित

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय (करोड़ रुपये में)			वास्तविक अवसंरचना सृजित																	
		परियोजनालागत (करोड़ रुपये)	जीबीएस संस्वीकृति (करोड़ रुपये)	जारी जीबीएस (करोड़ रुपये)	एस/एस-नए (सं.)		एस/एस-संवर्धन (सं.)		डीटीआर (सं.)		एलटी लाइन (सीकेएम)		एचटी लाइन (सीकेएम)		फीडर पृथक्करण (सीकेएम)		उपभोक्ता मीटर (सं.)		डीटी मीटर (सं.)		फीडर मीटर (सं.)	
					लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अंडमान एवं निकोबार	21	13	6													39200	39200				
2	आंध्र प्रदेश	941	566	553	204	204			18869	18869	8055	8055	5277	5277			15779	15779	3618	3618	342	342
3	अरुणाचल प्रदेश	743	631	420	5	5			29876	29876	2940	2940	2641	2641			95522	95522	1623	1623	377	377
4	असम	4747	4036	2355	21	21	13	13	21932	21932	40081	40081	14700	14700					17118	17118	257	257
5	बिहार	7301	4395	3805	280	280	9	9	81485	81485	73689	73689	23347	23347	18378	18378	2457482	2457482				
6	छत्तीसगढ़	1624	977	899	80	80	83	83	11937	11937	13372	13372	8316	8316	4714	4714	52819	52819	837	837	3388	3388
7	दादरा एवं नगर हवेली	5	3	2													300	300	350	350		
8	गोवा	20	12	12					21	21	56	56	13	13			94187	94187				
9	गुजरात	925	557	556	15	15	27	27	17817	17817	19644	19644	6454	6454			1092722	1092722	57106	57106		
10	हरियाणा	346	208	161	14	14	19	19	2761	2761	1970	1970	1432	1432	184	184	40072	40072				
11	हिमाचल प्रदेश	168	143	107	14	14	28	28	314	314	1452	1452	341	341	10	10	121105	121105	381	381	15	15
12	जम्मू एवं कश्मीर	1903	1618	648	20	20	13	13	7209	7209	21091	21091	5219	5219	130	130			280	280		
13	झारखंड	4926	2963	2564	116	116	98	98	68302	68302	62278	62278	18815	18815	5577	5577	334147	334147			1017	1017
14	कर्नाटक	1882	1133	1107	4	4	3	3	13215	13215	9009	9009	10818	10818	11784	11784	1483376	1483376	23790	23790		
15	केरल	485	292	292	2	2	7	7	598	598	2705	2705	1293	1293			2063687	2063687	23436	23436	97	97
16	लद्दाख	170	145	47	1	1			144	144	432	432	560	560								
17	मध्य प्रदेश	3889	2339	2129	145	145	295	295	40361	40361	49698	49698	30184	30184	5718	5718	410055	410055	402	402	242	242
18	महाराष्ट्र	2544	1531	1258	210	210	150	150	10914	10914	14122	14122	8027	8027	8315	8315						
19	मणिपुर	202	172	103					937	937	1663	1663	793	793			100000	100000				
20	मेघालय	685	583	443	9	9	2	2	2567	2567	13282	13282	2373	2373					999	999	179	179
21	मिजोरम	84	71	63			4	4	368	368	403	403	428	428			19133	19133			236	236
22	नागालैंड	165	140	85	6	6			364	364	596	596	596	596					697	697	191	191
23	ओडिशा	2227	1339	1017	12	12	164	164	14228	14228	11421	11421	7145	7145	1240	1240	2271702	2271702			902	902
24	पुद्दुचेरी	20	12	11					28	28	8	8	38	38			75609	75609	1250	1250		
25	पंजाब	443	267	218					7912	7912	246	246	3268	3268	2032	2032	169357	169357				
26	राजस्थान	5059	3041	2171	231	231	90	90	127534	127534	78645	78645	31609	31609	6396	6396	8125	8125			1787	1787
27	सिक्किम	87	74	72					373	373	924	924	380	380			45969	45969			65	65
28	तमिलनाडु	924	556	556	106	106	131	131	1189	1189	1174	1174	3008	3008	797	797	1195115	1195115				
29	तेलंगाना	462	278	278	86	86			9150	9150	8162	8162	1890	1890							1435	1435
30	त्रिपुरा	433	368	247	4	4			2027	2027	4360	4360	2845	2845			161728	161728				
31	उत्तर प्रदेश	13778	8280	6431	261	261	1032	1032	148258	148258	83895	83895	41991	41991	33814	33814	2055439	2055439	82553	82553	1812	1812
32	उत्तराखंड	845	719	614	1	1			3818	3818	5935	5935	3224	3224			13462	13462				
33	पश्चिम बंगाल	4179	2516	2394	80	80	152	152	23035	23035	40438	40438	6534	6534	9427	9427	2595107	2595107	16787	16787	3193	3193
	कुल जोड़	62232	39978	31624	1927	1927	2320	2320	667543	667543	571748	571748	243579	243579	108517	108517	17011199	17011199	231227	231227	15535	15535

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3083

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले और गैस की आवश्यकता

3083. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक विद्युत परियोजना के लिए राज्य-वार कुल कितने कोयले और गैस की आवश्यकता है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने कोयले और गैस की वर्ष-वार आपूर्ति की गई है;

(ग) क्या कोयले और गैस की आपूर्ति में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में ताप विद्युत संयंत्रों (कोयला आधारित) में विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2022) के दौरान, कोयले की कुल मांग और आपूर्ति निम्नानुसार है:

कोयला (मिलियन टन)			
वर्ष	अनुमानित मांग	आपूर्ति	खपत
2019-20	698.2	638.7	622.2
2020-21	690.2	596.3	615.4
2021-22	723.2	694.6	697.3
2022-23 (अप्रैल-जून)	201.2	205.5	205.4

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2022) के दौरान, कोयले की राज्य-वार मांग, प्राप्ति एवं खपत के ब्यौरे अनुबंध-1 पर दिए गए हैं।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2022) के दौरान, गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (@85% पीएलएफ, जीसीवी 9500 किक्कैल/एचसीएम और 2000 किक्कैल/किवाघं मानते हुए) में गैस की मांग और आपूर्ति/खपत की गई गैस का विवरण निम्नानुसार है:

गैस (एमएमएससीएमडी)		
वर्ष	अनुमानित मांग	आपूर्ति
2019-20	102.4	29.5
2020-21	102.4	30.1
2021-22	102.4	22.6
2022-23 (अप्रैल-जून)	102.4	19.4

(एमएमएससीएमडी- मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन)

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अप्रैल-जून, 2022) के दौरान, गैस की राज्य-वार मांग और आपूर्ति की गई गैस के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ग) : कोयले की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 के 638.7 एमटी से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 694.7 एमटी हो गई है, इसमें वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान 596.3 एमटी तक की आंशिक गिरावट शामिल है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून, 2022) के दौरान, 201.2 एमटी की मांग की तुलना में 205.5 एमटी कोयले की आपूर्ति की गई है।

तथापि, गैस की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान 29.5 एमएमएससीएमडी से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून, 2022) में 19.4 एमएमएससीएमडी रह गई है।

(घ) : सरकार ने मांग की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- i. राजस्व भागीदारी तंत्र पर कोयले की वाणिज्यिक नीलामी:- जून, 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी आरंभ होने से, 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।
- ii. कैप्टिव खदानों से अतिरिक्त कोयले की बिक्री की अनुमति दी गई: सरकार ने खदान से जुड़े अंतिम प्रयोक्ता संयंत्र की मांग की पूर्ति के बाद, राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि के भुगतान पर किसी वित्तीय वर्ष में कैप्टिव खदानों से उत्पादित कुल कोयले अथवा लिग्नाइट के 50% तक कोयले की बिक्री की अनुमति दी है।
- iii. नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में वृद्धि: वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म क्षमता
- iv. आयातित पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति (ओजीएल) के तहत रखा गया है और गैस आधारित विद्युत संयंत्र परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों पर आरएलएनजी के आयात हेतु स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं अनुज्ञप्ति नीति, उत्पादन प्रतिभागिता संविदाओं के विस्तार हेतु नीति, कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण आदि जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3083 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोयला आवश्यकता, आपूर्ति और खपत

सभी आंकड़े मिलियन टन में

राज्य	वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून)		
	आवश्यकता	प्राप्त	खपत	आवश्यकता	प्राप्त	खपत	आवश्यकता	प्राप्त	खपत	आवश्यकता	प्राप्त	खपत
आंध्र प्रदेश	43.7	39.4	38.4	43.4	28.0	29.5	44.3	37.2	37.3	11.9	12.3	11.1
असम	2.1	2.7	2.3	2.4	1.4	1.7	1.7	2.4	2.5	0.5	0.9	0.8
बिहार	21.5	25.5	25.3	25.9	24.8	24.6	26.7	30.0	30.1	9.2	9.3	9.6
छत्तीसगढ़	79.2	80.1	78.9	80.2	93.3	92.8	89.4	101.7	101.9	25.7	24.3	26.1
गुजरात	45.5	41.3	40.8	43.7	34.5	36.6	44.3	26.0	25.3	8.8	9.1	9.0
हरियाणा	16.2	12.3	10.9	15.6	7.5	9.1	14.4	14.3	15.0	4.2	5.2	5.7
झारखंड	17.6	16.7	16.3	18.0	16.5	16.8	17.4	17.7	17.8	4.7	4.5	4.9
कर्नाटक	22.0	15.4	14.5	20.9	10.3	11.3	19.7	18.1	18.4	6.5	7.4	7.0
मध्य प्रदेश	80.1	75.5	74.6	78.5	75.8	77.6	82.7	84.0	83.7	24.0	24.3	24.0
महाराष्ट्र	86.6	76.4	72.7	81.3	62.6	66.6	81.7	78.4	80.3	22.7	24.7	24.1
ओडिशा	37.1	33.2	33.1	37.0	42.2	42.1	40.6	45.4	44.5	12.6	11.4	11.3
पंजाब	18.4	12.5	12.1	17.7	10.2	11.1	20.6	14.8	15.3	4.7	5.8	5.3
राजस्थान	28.9	24.3	22.3	27.7	20.4	21.4	30.2	24.6	24.5	8.5	8.3	7.9
तमिलनाडु	34.7	28.9	28.7	34.5	23.7	24.4	38.9	31.1	29.6	10.2	9.5	8.9
तेलंगाना	30.9	29.6	29.9	29.6	25.6	26.5	32.3	31.2	31.2	8.8	8.7	8.3
उत्तर प्रदेश	82.9	75.4	74.0	82.4	73.8	76.5	87.5	84.1	84.6	23.7	25.0	26.7
पश्चिम बंगाल	50.8	49.4	47.3	51.2	45.7	47.0	50.7	53.6	55.2	14.6	14.7	14.7
कुल योग	698.3	638.7	622.2	690.2	596.3	615.4	723.2	694.6	697.3	201.2	205.5	205.4

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3083 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गैस आवश्यकता और आपूर्ति

राज्य	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून)	
	आवश्यकता	आपूर्ति	आवश्यकता	आपूर्ति	आवश्यकता	आपूर्ति	आवश्यकता	आपूर्ति
आंध्र प्रदेश	21.7	1.9	21.7	2.0	21.7	1.4	21.7	0.9
असम	2.7	2.4	2.7	2.2	2.7	2.6	2.7	2.8
दिल्ली	9.5	3.5	9.5	3.0	9.5	2.8	9.5	3.2
गुजरात	31.5	7.2	31.5	9.9	31.5	4.0	31.5	2.0
हरियाणा	1.9	0.3	1.9	0.6	1.9	0.1	1.9	0.0
महाराष्ट्र	13.8	4.7	13.8	3.5	13.8	3.8	13.8	2.5
पुद्दुचेरी	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
राजस्थान	4.4	1.1	4.4	1.0	4.4	1.3	4.4	1.2
तमिलनाडु	3.8	1.7	3.8	1.4	3.8	1.2	3.8	1.3
त्रिपुरा	4.7	4.0	4.7	4.4	4.7	4.0	4.7	4.0
उत्तर प्रदेश	6.4	1.5	6.4	1.6	6.4	0.7	6.4	1.4
उत्तराखंड	1.9	1.2	1.9	0.4	1.9	0.6	1.9	0.0
कुल योग	102.4	29.5	102.4	30.1	102.4	22.6	102.4	19.4

*- आवश्यकता की गणना 85% पीएलएफ पर की जाती है (9500 किलो कैलोरी/एससीएम का जीसीवी और 2000 किलो कैलोरी/केडब्ल्यूएच का एसएचआर मानकर)

(एमएमएससीएमडी - लाख मीट्रिक मानक घन मीटर दैनिक)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3085

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

पीजीसीआईएल का परिसंपत्ति मुद्रिकरण

3085. श्री जयदेव गल्ला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का अवसंरचना निवेश न्यास बनाकर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) की परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास के प्रायोजकों, निवेश प्रबंधकों, परियोजना प्रबंधकों और न्यासी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रस्तावित योजना के अंतर्गत मुद्रिकृत की जा रही परिसंपत्तियों का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य कितना है तथा इन परिसंपत्तियों को रखने वाले विशेष प्रयोजी माध्यमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अवसंरचना निवेश न्यास के लिए मसौदा विवरणिका तैयार की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विवरणिका के ब्यौरे कब तक जारी किए जाएंगे;
- (ङ) क्या परिसंपत्ति मुद्रिकरण से प्राप्त आय का उपयोग पीजीसीआईएल के नए निवेश के लिए किया जाएगा; और
- (च) यदि हां, तो उन प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें इस आय का निवेश किया जाएगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी हां। भारत सरकार ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के माध्यम से स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवीज) में धारित, अपनी टीबीसीबी (टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली) परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) : पीजीसीआईएल ने अपने इनविट- पावरग्रिड अवसंरचना निवेश ट्रस्ट ('पीजीइनविट/ट्रस्ट') की स्थापना की थी। पीजीइनविट को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा सेबी (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) विनियम,

2014 के अंतर्गत, दिनांक 07 जनवरी, 2021 की पंजीकरण संख्या आईएन/इनविट/20-21/0016 द्वारा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। पीजीइनविट एक प्रायोजक, निवेश प्रबंधकों, परियोजना प्रबंधकों तथा ट्रस्टी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- **प्रायोजक एवं परियोजना प्रबंधक:** पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- **ट्रस्टी:** आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
- **निवेश प्रबंधक:** पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पीयूटीएल (पीजीसीआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

(ग) : मई, 2021 में, पीजीसीआईएल ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत, अपनी एसपीवीज में से निम्नलिखित पांच (05) का, पीजीइनविट के माध्यम से, मुद्रीकरण किया:

- पावरग्रिड वाईजैग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीवीटीएल),
- पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेएटीएल),
- पावरग्रिड पर्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीपीटीएल),
- पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीडब्ल्यूटीएल),
- पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजेटीएल)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पीजीसीआईएल ने मुद्रीकरण के माध्यम से 8,370 करोड़ रुपये की उगाही की। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, मुद्रीकरण के लिए 6,860 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) : पीजीइनविट द्वारा मई, 2021 में आईपीओ के संबंध में, प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (डीओडी) सेबी में 25 जनवरी, 2021 को फाइल किया गया है। प्रस्ताव दस्तावेज का अद्यतन प्रारूप (यूडीओडी) सेबी में 22 अप्रैल, 2021 को आईपीओ से पूर्व फाइल किया गया था और आईपीओ प्रक्रिया के समापन के बाद, दिनांक 06 मई, 2021 को सेबी में अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज (एफओडी) फाइल किया गया था।

(ङ) और (च) : परिसंपत्ति मुद्रीकरण से हुई प्राप्तियों का पीजीसीआईएल की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3119

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

एन.टी.पी.सी. संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण

3119. श्रीमती गोमती साय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लारा और तिलपली गांव में एन.टी.पी.सी. संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा और रोजगार प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

(क) से (ग) : परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के लिए एनटीपीसी की मांग पर; विद्यमान भूमि अधिग्रहण (एलए) अधिनियम के अंतर्गत, जिला प्रशासन/उपयुक्त सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है। एनटीपीसी संबंधित किसानों को देय मुआवजा की राशियों के वितरण के लिए संबंधित भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण/जिला प्रशासन को मांगी गई राशि जमा करता है।

जहां तक रोजगार का संबंध है, विद्यमान एलए अधिनियम के अंतर्गत इसकी प्रतिबद्धता नहीं है। तथापि, परियोजना के निर्माण तथा प्रचालन स्तरों में विभिन्न रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं। मुआवजा तथा रोजगार के ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:

एनटीपीसी लारा-

राज्य सरकार ने एनटीपीसी लारा के लिए सीएसआईडीसी, रायपुर (छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) के माध्यम से 1929.20 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहीत की थी और सीएसआईडीसी ने यह भूमि 99 वर्ष के पट्टे के आधार पर एनटीपीसी को सौंप दी थी। एनटीपीसी द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से भूमिदाताओं को मुआवजे के संवितरण के लिए सीएसआईडीसी- रायपुर के पास भूमि अधिग्रहण के संबंध में कुल 292.35 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई थी।

एनटीपीसी लारा ने, हितधारकों के परामर्श से, आरएंडआर योजना के अंतर्गत मुआवजे प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जिसका राज्य सरकार द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया है।

तदनुसार, अभी तक 2449 भूमि विस्थापितों में से 1821 भूमि विस्थापितों ने एनटीपीसी से आरएंडआर अनुदान प्राप्त कर लिया है। पात्र हितधारकों के लिए एनटीपीसी द्वारा आरएंडआर वितरण की प्रक्रिया उचित प्रलेखन के बाद जारी है।

इसके अतिरिक्त, अभी तक, एनटीपीसी लारा में 79 नियमित पदों के लिए अधिसूचित उपलब्ध रिक्तियों के लिए, परियोजना प्रभावित परिवारों के उपयुक्त पाए गए 57 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और रोजगार प्रदान किया गया है।

तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना (तलाईपल्ली सीएमपी)-

केन्द्र सरकार (कोयला मंत्रालय, भारत सरकार) ने सीबीए (कोयलाधारक क्षेत्र) अधिनियम के अंतर्गत एनटीपीसी तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना के लिए 2959 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहीत की थी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के रूप में 250.83 करोड़ रुपये की राशि पहले ही संवितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एलए (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम, 1894/आरएफसीटीएलएआरआर (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार), अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 788.46 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहीत की गई है जिसके लिए मुआवजे के संवितरण हेतु जिला प्रशासन के पास 176.87 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई गई थी।

सीबीए अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के लिए, सक्षम प्राधिकारी (कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीबीए अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यथा अधिसूचित) द्वारा 95 प्रतिशत भूमि और संबंधित परिसंपत्तियों के लिए मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है जबकि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि के लिए, जिला प्रशासन द्वारा भूमि स्वामियों को लगभग 88 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

एनटीपीसी ने, हितधारकों के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आरएंडआर पैकेज देने का निर्णय किया है जिसमें पात्र पीएएफ (परियोजना प्रभावित परिवारों) को आरएंडआर अनुदान दिए जाएंगे।

3379 पात्र पीएएफ में से, 2788 पीएएफ को आरएंडआर अनुदानों का भुगतान किया गया है। चूंकि खनन एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः शेष पीएएफ के लिए आरएंडआर अनुदानों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित परिवारों को दुकान, संविदात्मक कार्य, वाहन अनुबंध आदि जैसे द्वितीयक रोजगार अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3160

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

गुजरात में 'सौभाग्य' की स्थिति

3160. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य के लिए स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई धनराशि की मात्रा कितनी है;
- (ग) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन औसतन कितनी बिजली आपूर्ति की जाती है;
- (घ) देश में राज्य-वार कितने अविद्युतीकृत घरों को चिन्हित किया गया है; और
- (ङ) कब तक इन घरों के विद्युतीकरण की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया था कि सौभाग्य स्कीम शुरू होने से पूर्व ही गुजरात में अधिकांश घरों का विद्युतीकरण हो चुका था, अतः, गुजरात ने सौभाग्य में भाग नहीं लिया था।

(ग) : राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) पर उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 08.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटे क्रमशः 23.78 (HH.hh) और 21.48 (HH.hh) थे।

(घ) और (ङ) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत और उसके बाद प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत, जो दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है, सभी राज्यों ने पहले ही क्रमशः दिनांक 28 अप्रैल 2018 को सभी गांवों और 31 मार्च, 2019 को सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी थी।

यद्यपि डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18374 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था, तथापि सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था, जिसमें दो चरणों में विद्युतीकृत किए गए अतिरिक्त घर शामिल थे, जो दिनांक 31.03.2019 के बाद इच्छुक हो गए थे, लेकिन पहले विद्युतीकरण के लिए अनिच्छुक थे।

यद्यपि नए घरों का उभर कर आना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण पर वितरण यूटिलिटीयों द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार सभी घरों, जो सौभाग्य स्कीम की शुरुआत के समय विद्यमान थे, का विद्युतीकरण करने में राज्यों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3163

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

पराली से विद्युत उत्पादन

3163. श्री विजय कुमार दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पराली से विद्युत उत्पादन की कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए उक्त योजना को कब तक लागू करने का विचार है;

(घ) अब तक स्थापित और निर्माणाधीन गैसीफायरों की स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने अक्टूबर, 2021 में "कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास के उपयोग के लिए विद्युत मंत्रालय की नीति" जारी की है, जिसमें सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए 5-7% बायोमास के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

विद्युत उत्पादन यूटिलिटियों के सभी कोयला आधारित उन ताप विद्युत संयंत्रों में, जहां कोयले के पल्वराईजेशन के लिए बाउल मीले हैं, यह नीति जारी होने की तिथि से एक वर्ष बाद से कोयले के साथ मुख्य रूप से कृषि अवशेष के बायोमास पेलेटों (5% का वार्षिक उपयोग) को मिश्रित करने का अनुरोध है। आदेश जारी होने की तिथि के दो वर्ष बाद से और तत्पश्चात् यह बढ़कर 7% हो जाएगा।

दिनांक 31.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 35 विद्युत संयंत्रों की यूनिटों में को-फायर बायोमास पेलेट है।

बायोमास को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में पर्यावरण अनुकूल विद्युत में परिवर्तित किया जाता है और किसानों के लिए उनके कृषि अवशेषों की खपत से अतिरिक्त आय उत्पन्न होती है।

(घ) : गैसीफायरों की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 174244 केडब्ल्यूईक्यू है और 1710 केडब्ल्यूईक्यू निर्माणाधीन है। बायोमास गैसीफायर संयंत्रों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ) : बायोमास आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना विकसित करने और निवेशकों और उद्यमियों को इस क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 02.03.2022 को बायोमास आपूर्ति के लिए मॉडल दीर्घकालिक अनुबंध (7 वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल) जारी किया है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने अपने समर्थ मिशन के माध्यम से अक्टूबर, 2021 से देश भर के कई राज्यों में किसानों, पेलेट निर्माताओं, उद्यमियों और ताप विद्युत संयंत्र अधिकारियों के लिए 18 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3163 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

30.06.2022 तक निर्माणाधीन और संस्थापित गैसीफायर की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल संस्थापित क्षमता	संस्थापना के अधीन
1	असम	2933	-
2	आंध्र प्रदेश	22914	-
3	बिहार	6254	-
4	छत्तीसगढ़	1210	150
5	गुजरात	20080	-
6	हरियाणा	6463	-
7	जम्मू एवं कश्मीर	200	-
8	झारखंड	500	-
9	कर्नाटक	6297	-
10	महाराष्ट्र	7150	-
11	मध्य प्रदेश	10207	-
12	मेघालय	250	-
13	ओडिशा	270	-
14	राजस्थान	2629	-
15	तमिलनाडु	14860	-
16	उत्तर प्रदेश	33899	-
17	उत्तराखंड	2150	-
18	पश्चिम बंगाल	31178	1560
19	तेलंगाना	4800	-
कुल (केडब्ल्यूईक्यू)		174244	1710

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3175

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जेनकोस को भुगतान

3175. श्री पी. वेलुसामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जेनकोस को भुगतान की जाने वाली विद्युत वितरण कंपनियों की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार बीजक बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद में 'भुगतान सुधार और विश्लेषण' के तहत जेनकोस की भुगतान प्रणाली की निगरानी कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जेनकोस को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, क्योंकि जेनकोस की आदान लागत की प्राप्ति में भी डिफॉल्ट होगा;
- (घ) क्या सरकार के पास जेनकोस को बकाया का भुगतान करने के उद्देश्य से विद्युत वितरण कंपनियों के लिए धनराशि निवेश का कोई प्रस्ताव है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा जेनकोस को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों द्वारा, प्राप्ति पोर्टल पर, उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा केंद्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों को दिनांक 12.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार भुगतान की गई कुल बकाया राशि 1,09,948 करोड़ रुपये है। विद्युत की देयराशियों के राज्य-वार ब्यौरे **संलग्न** किए गए हैं।

(ख) : विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जेनकोस की देयराशियों की निगरानी में पारदर्शिता लाने के लिए प्राप्ति (उत्पादकों के बिलों में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत खरीद में भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण) नामक वेब-पोर्टल लॉन्च किया है।

(ग) से (ङ) : डिस्कॉमों से उत्पादक कंपनियों के प्राप्ति योग्य बकायों से उत्पन्न नकद प्रवाह समस्याओं को मानते हुए और विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में मूल भुगतान अनुशासन बढ़ाने की दृष्टि से, जेनकोस की प्राप्ति योग्य धनराशि बढ़ने के कारण, जिसका निर्वहन चिंता का विषय बना हुआ है, हाल ही में, भारत सरकार ने दिनांक 03 जून, 2022 को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबद्ध मामले) नियम, 2022 लागू किए हैं। इन नियमों में डिस्कॉमों के लिए दिनांक 03.06.2022 को विद्यमान अपने परंपरागत देय राशियों का समयबद्ध ढंग से, बराबर मासिक किश्तों में, दिनांक 03.06.2022 के बाद विलंबित भुगतान अधिभार की प्रयोज्यता के बिना, निपटान करने की बाध्यता की गई है। इन नियमों में भुगतान सुरक्षा तंत्र की स्थापना के माध्यम से वर्तमान देय राशियों के समयबद्ध निपटान के लिए एक ढांचा और खुली पहुँच की क्रमिक निकासी के निरुत्साहन के साथ-साथ, यदि इन नियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया जाता है तो, विद्युत विनियमों का प्रावधान भी किया गया है। डिस्कॉम उत्पादक कंपनियों से अपनी देय राशियों की निकासी के लिए पीएफसी लिमिटेड तथा आरईसी लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3175 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले जेनकोज को छोड़कर जेनकोज (सीपीएसई, आईपीपी, आरई) के लिए राज्यों/डिस्कॉमों की देयराशि

(करोड़ रुपये में)

1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार	3	-	-	3
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	23	-	-	23
		आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	37	-	0	37
		आंध्र प्रदेश विद्युत क्रय समन्वय समिति	168	1723	2250	4141
		आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	117	34	5593	5744
3	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल विद्युत वितरण विभाग	0	-	-	0
4	असम	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1	-	2	3
5	बिहार	बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	-	2	-	2
		उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	9	213	84	306
		दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	11	369	6	386
6	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग	78	-	-	78
7	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	1	-	27	28
		छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत व्यापार कंपनी लिमिटेड	-	155	-	155
8	दादरा एवं नगर हवेली	दमन एवं दीव विद्युत विभाग	4	-	-	4
9	दमन एवं दीव	दादरा एवं नगर हवेली विद्युत विभाग	1	402	-	403
10	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	111	0	-	111
		बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	358	0	-	358
		दिल्ली टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड	1	5	-	6
		नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	0	0	-	0
11	गोवा	गोवा विद्युत विभाग	10	-	-	10
12	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	-	-	1	1
		गुजरात विद्युत विकास निगम लिमिटेड	24	643	263	930
		मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	-	-	1	1
		पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	-	-	1	1
		उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	-	-	2	2
13	हरियाणा	हरियाणा विद्युत खरीद केंद्र	41	645	-	686
14	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सरकार	0	-	-	0
		हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	8	53	-	61
15	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू और कश्मीर विद्युत वितरण विभाग	7257	-	-	7257
		जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत व्यापार कंपनी लिमिटेड	688	9	-	697
16	झारखंड	झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4091	-	-	4091
17	कर्नाटक	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	120	236	818	1174
		चामुंडेश्वरी विद्युत सप्लाई निगम लिमिटेड	7	26	237	270
		गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	90	31	704	825
		हबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	151	524	950	1625

		मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड	0	24	24	48
18	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	61	501	-	562
19	लक्षद्वीप		-	-	-	0
20	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड	0	576	38	614
		मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	514	2319	2335	5168
21	महाराष्ट्र	एएमईएल	-	0	0	0
		बेस्ट उद्यम	-	-	3	3
		महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	218	21017	1467	22702
		महाराष्ट्र टाटा विद्युत डीडीएल	-	-	7	7
22	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	50	-	-	50
23	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	608	-	-	608
24	मिजोरम	मिजोरम विद्युत विभाग	15	-	-	15
25	नागालैंड	नागालैंड विद्युत विभाग	0	-	-	0
26	ओडिशा	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा	0	251	3	254
27	पुदुचेरी	पुदुचेरी विद्युत विभाग	19	-	-	19
28	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	24	517	201	742
29	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	36	174	277	487
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	199	425	319	943
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	60	216	543	819
		राजस्थान डिस्कॉम बिजली खरीद केंद्र	26	0	16	42
		राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	144	0	144
30	सिक्किम	सिक्किम विद्युत विभाग	13	-	-	13
31	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड	7221	10663	2692	20576
		तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	687	-	136	823
32	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी	117	75	504	696
		तेलंगाना राज्य विद्युत आयोग कंपनी	708	12027	1446	14181
		तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी	269	606	1492	2367
33	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	137	-	-	137
34	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	350	7603	20	7973
35	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	-	-	3
36	पश्चिम बंगाल	सीईएससी लिमिटेड	-	-	-	-
		दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	0	-	-	0
		पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0	533	-	533
कुल			24745	62741	22462	109948

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3179

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत संकट

3179. कुंवर दानिश अली:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिजली संकट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों को चिन्हित किया है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बिजली की आवश्यकता सहित विभिन्न स्रोतों से वास्तविक विद्युत उत्पादन से संबंधित राज्य-वार आकलन संबंधी आंकड़ा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान में सभी विद्युत संयंत्रों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोयला भंडारण है या नहीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : वर्तमान में, देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संस्थापित क्षमता है। दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार, देश की लगभग 215.89 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) की व्यस्ततम विद्युत मांग, जो अप्रैल, 2022 माह में हुई थी, के निमित्त देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 403.76 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) थी। वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच 1% का अंतर था, तथा ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई

ऊर्जा के बीच यह अंतर गंभीर रूप से, देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा अन्य कारकों जैसे वितरण नेटवर्क में बाधाओं, वित्तीय बाधाओं, वाणिज्यिक कारणों, उत्पादन इकाइयों की बंदी आदि के कारण थी।

वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक) के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान जीवाश्म और गैर-जीवाश्म के सभी स्रोतों से स्रोत-वार विद्युत उत्पादन (कार्यक्रम और वास्तविक) के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

(ड) : दिनांक 30.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सीईए द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्र के पास उपलब्ध कोयला स्टॉक लगभग 29.6 एमटी है, जो ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) द्वारा बनाए रखने के लिए अपेक्षित मानक कोयला स्टॉक का लगभग 52% है।

(च) : देश में विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि की पूर्ति के लिए, देश में 27,550 मेगावाट की कुल क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाएं (39 इकाइयां) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, देश में कुल 14,103.5 मेगावाट की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके साथ-साथ, 8,700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन हैं और 7,000 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति दी गई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3179 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा।

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा की मांग	ऊर्जा की आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23 (जून, 2022 तक)(*)	404,761	400,654	4,107	1.0

(*) अन्तिम

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3179 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक) के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

अप्रैल, 2022 - जून, 2022 (अनंतिम) तक की अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति (ऊर्जा)				
राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - जून, 2022 (*)			
	ऊर्जा की मांग	ऊर्जा की आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	527	527	0	0.0
दिल्ली	10,895	10,892	3	0.0
हरियाणा	16,967	16,598	369	2.2
हिमाचल प्रदेश	3,112	3,048	63	2.0
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	4,665	4,441	224	4.8
पंजाब	18,730	18,564	166	0.9
राजस्थान	26,152	25,430	722	2.8
उत्तर प्रदेश	42,423	41,666	757	1.8
उत्तराखंड	4,355	4,254	102	2.3
उत्तरी क्षेत्र	128,112	125,706	2,405	1.9
छत्तीसगढ़	9,697	9,643	54	0.6
गुजरात	38,693	38,689	4	0.0
मध्य प्रदेश	23,469	23,167	302	1.3
महाराष्ट्र	51,522	51,412	109	0.2
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	2,514	2,514	0	0.0
गोवा	1,279	1,278	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	128,545	128,075	470	0.4
आंध्र प्रदेश	12,770	18,530	403	2.1
तेलंगाना	18,307	18,284	22	0.1
कर्नाटक	19,006	18,983	23	0.1
केरल	7,090	7,075	15	0.2
तमिलनाडु	30,967	30,894	73	0.2
पुदुचेरी	846	845	1	0.1
लक्षद्वीप (#)	17	17	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	95,160	94,624	536	0.6
बिहार	10,826	10,568	258	2.4
डीवीसी	6,561	6,554	7	0.1
झारखंड	3,217	2,901	316	9.8
ओडिशा	11,140	11,095	45	0.4
पश्चिम बंगाल	16,569	16,524	45	0.3
सिक्किम	140	140	0	0.1
अंडमान - निकोबार	89	89	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	48,467	47,797	670	1.4
अरुणाचल प्रदेश	224	219	5	2.1
असम	2,725	2,725	0	0.0
मणिपुर	226	225	1	0.3
मेघालय	496	488	8	1.6
मिजोरम	162	162	0	0.0
नागालैंड	224	213	11	4.8
त्रिपुरा	418	418	0	0.0
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र	4,477	4,452	25	0.6
अखिल भारत	404,761	400,654	4,107	1.0

(*) अनंतिम

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3179 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान जीवाश्म ईंधन से उत्पादित स्रोत-वार विद्युत (कार्यक्रम और वास्तविक) के ब्यौरे

क्षेत्र	राज्य	स्रोत	ईंधन	दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार निगरानी क्षमता (मेगावाट में)	2022-23 (जून-2022 तक)		
					कार्यक्रम (एमयू में)	उत्पादन (एमयू में)	
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली		प्राकृतिक गैस	2208.40	1637.00	1415.86	
	हरियाणा	तापीय	कोयला	5330.00	6335.00	8807.94	
	हरियाणा		प्राकृतिक गैस	431.59	80.00	2.55	
	जम्मू एवं कश्मीर	तापीय	हाई स्पीड डीजल	175.00	0.00	0.00	
	पंजाब	तापीय	कोयला	5680.00	7531.00	8358.67	
	राजस्थान	तापीय	कोयला	8900.00	13808.00	12384.86	
	राजस्थान		लिग्नाईट	1580.00	2142.00	2059.90	
	राजस्थान		प्राकृतिक गैस	1022.83	314.00	341.68	
	उत्तर प्रदेश		तापीय	कोयला	24389.00	36552.00	41080.57
				लिग्नाईट	0.00	447.00	0.00
			प्राकृतिक गैस	1493.14	438.00	574.34	
उत्तराखंड	तापीय	प्राकृतिक गैस	450.00	263.00	0.00		
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	तापीय	कोयला	23688.00	37723.00	35257.83	
	गोवा	तापीय	नापथा	48.00	0.00	0.00	
	गुजरात	तापीय	कोयला	14692.00	16928.00	15913.37	
			लिग्नाईट	1400.00	1277.00	1548.40	
			प्राकृतिक गैस	7551.41	2716.00	844.34	
	मध्य प्रदेश	तापीय	कोयला	21950.00	36570.00	37979.05	
महाराष्ट्र	तापीय	कोयला	23856.00	32738.00	34428.49		
			प्राकृतिक गैस	3207.08	1710.00	985.37	
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	तापीय	कोयला	11590.00	17658.00	15843.56	
				डीजल	36.80	0.00	0.00
				प्राकृतिक गैस	4898.54	616.00	338.27
	कर्नाटक	तापीय	कोयला	9480.00	10657.00	10931.86	
				डीजल	25.20	0.00	0.00
				प्राकृतिक गैस	0.00	124.00	0.00
	केरल	तापीय	डीजल	159.96	0.00	0.12	
				नापथा	533.58	0.00	0.00
	पूदुचेरी	तापीय	प्राकृतिक गैस	32.50	58.00	56.43	
	तमिलनाडु	तापीय	कोयला	10045.00	14346.00	11560.52	
				डीजल	211.70	0.00	0.00
				लिग्नाईट	3640.00	4836.00	6524.19
				नापथा	120.00	0.00	0.83
तेलंगाना	तापीय	कोयला	7842.50	14274.00	13573.89		
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान निकोबार	तापीय	डीजल	40.05	37.00	30.59	
	बिहार	तापीय	कोयला	8400.00	13031.00	14383.62	
	झारखंड	तापीय	कोयला	4250.00	7359.00	7876.63	
	ओडिशा	तापीय	कोयला	9540.00	16442.00	15820.61	
	पश्चिम बंगाल	तापीय	कोयला	13697.00	21848.00	22331.80	
				हाई स्पीड डीजल	80.00	0.00	0.00
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	असम	तापीय	कोयला	750.00	889.00	1419.76	
				प्राकृतिक गैस	620.36	698.00	873.34
	मणिपुर	तापीय	डीजल	36.00	0.00	0.00	
	त्रिपुरा	तापीय	प्राकृतिक गैस	1099.60	1468.00	1556.91	
कुल जोड़:				236078.42	324058.00	325617.17	

वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पादित स्रोत-वार विद्युत (कार्यक्रम और वास्तविक) के ब्यौरे

क्षेत्र	राज्य	स्रोत	ईंधन	दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार निगरानी क्षमता (मेगावाट में)	2022-23 (जून-2022 तक)	
					कार्यक्रम (एमयू में)	कार्यक्रम (एमयू में)
उत्तरी क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	जल विद्युत	10263.02	11155.00	10325.19
	जम्मू एवं कश्मीर	जल विद्युत	जल विद्युत	3360.00	5919.00	5942.96
	लद्दाख	जल विद्युत	जल विद्युत	89.00	114.00	108.64
	पंजाब	जल विद्युत	जल विद्युत	1096.30	1017.00	956.32
	राजस्थान	नाभिकीय	नाभिकीय	1180.00	1708.00	1930.41
		जल विद्युत	जल विद्युत	411.00	4.00	65.19
	उत्तर प्रदेश	नाभिकीय	नाभिकीय	440.00	615.00	503.79
		जल विद्युत	जल विद्युत	501.60	376.00	194.47
उत्तराखंड	जल विद्युत	जल विद्युत	3975.35	3404.00	3833.33	
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	जल विद्युत	जल विद्युत	120.00	40.00	59.17
	गुजरात	नाभिकीय	नाभिकीय	440.00	1578.00	939.92
		जल विद्युत	जल विद्युत	1990.00	762.00	530.95
	मध्य प्रदेश	जल विद्युत	जल विद्युत	2235.00	853.00	764.35
	महाराष्ट्र	नाभिकीय	नाभिकीय	1400.00	2199.00	2371.16
		जल विद्युत	जल विद्युत	3047.00	1798.00	1912.08
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	जल विद्युत	जल विद्युत	1610.00	451.00	358.44
	कर्नाटक	नाभिकीय	नाभिकीय	880.00	1443.00	1934.04
		जल विद्युत	जल विद्युत	3689.20	3059.00	3074.98
	केरल	जल विद्युत	जल विद्युत	1856.50	2053.00	1879.00
	तमिलनाडु	नाभिकीय	नाभिकीय	2440.00	2987.00	3233.97
		जल विद्युत	जल विद्युत	2178.20	595.00	877.13
	तेलंगाना	जल विद्युत	जल विद्युत	2405.60	229.00	193.10
पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	जल विद्युत	जल विद्युत	210.00	20.00	23.77
	ओडिशा	जल विद्युत	जल विद्युत	2154.55	1117.00	1037.54
	सिक्किम	जल विद्युत	जल विद्युत	2282.00	2892.00	3462.28
	पश्चिम बंगाल	जल विद्युत	जल विद्युत	1341.20	701.00	872.96
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	जल विद्युत	जल विद्युत	1115.00	1129.00	1279.76
	असम	जल विद्युत	जल विद्युत	350.00	139.00	107.37
	मणिपुर	जल विद्युत	जल विद्युत	105.00	140.00	146.75
	मेघालय	जल विद्युत	जल विद्युत	322.00	211.00	307.85
	मिजोरम	जल विद्युत	जल विद्युत	60.00	12.00	13.40
	नागालैंड	जल विद्युत	जल विद्युत	75.00	31.00	41.01
भूटान (आयात)			जल विद्युत	0.00	2036.00	1772.80
कुल जोड़:				53622.52	50787.00	51054.08

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	आरई उत्पादन अप्रैल, 2022-जून, 2022
उत्तरी क्षेत्र	चंडीगढ़	3.27
	दिल्ली	131.49
	हरियाणा	421.23
	हिमाचल प्रदेश	600.91
	जम्मू एवं कश्मीर	123.97
	लद्दाख	0.00
	पंजाब	902.40
	राजस्थान	11076.55
	उत्तर प्रदेश	1603.16
	उत्तराखंड	233.43
	उप जोड़	15096.40
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	507.63
	गुजरात	9323.99
	मध्य प्रदेश	3045.50
	महाराष्ट्र	4557.60
	दमन और दीव	12.49
	दादरा एवं नगर हवेली	6.94
	गोवा	2.53
		उप जोड़
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	4638.63
	तेलंगाना	1931.29
	कर्नाटक	7222.48
	केरल	383.93
	तमिलनाडु	7849.94
	लक्षद्वीप	0.03
	पुदुचेरी	3.06
		उप जोड़
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान निकोबार	9.87
	बिहार	46.67
	झारखंड	5.59
	ओडिशा	238.61
	सिक्किम	3.09
	पश्चिम बंगाल	488.44
		उप जोड़
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	13.82
	असम	53.54
	मणिपुर	2.05
	मेघालय	20.47
	मिजोरम	1.92
	नागालैंड	18.79
	त्रिपुरा	1.49
		उप जोड़
	कुल जोड़	55486.79

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3181

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

कोयले के कम भण्डार के कारण विद्युत संकट

3181. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में मानसून के मौसम को देखते हुए कोयला जमा किया जाये;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या जुलाई-अगस्त, 2022 के महीनों में मानसून पूर्व कोयले के कम भण्डार के कारण एक और बिजली संकट पैदा हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) मौजूदा कोयला संकट पर अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था के प्रभाव, विशेष रूप से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे कैरिज की अपर्याप्त संख्या पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने मानसून के मौसम के दौरान पर्याप्त कोयला भंडार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (I) सरकार ने दिनांक 06.12.2021 को संशोधित कोयला भंडारण मानदंड जारी किए हैं जिनमें वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्रों को प्रेषण/खपत पैटर्न के आधार पर मौसमी परिवर्तन के साथ, 85% पीएलएफ की दैनिक आवश्यकता के आधार पर पिटहैड संयंत्रों के लिए 12 से 17 दिन का और नॉन-पिटहैड संयंत्रों के लिए 20 से 26 दिनों का कोयला भंडार बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया है। जून माह के दौरान, 85% पीएलएफ की आवश्यकता पर नॉन-पिटहैड संयंत्रों को 26 दिनों और पिटहैड संयंत्रों को 17 दिनों का कोयला स्टॉक बनाए रखना है।
- (II) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक

निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

- (III) कोयला आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की गई है ताकि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आईएमसी में सदस्य के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीईए आईएमसी को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- (IV) सीआईएल ने टीपीपी को रोड सह रेल (आरसीआर) मोड पर लगभग 16 एमटी कोयला आवंटित किया है।
- (V) रेल मंत्रालय ने गुड शेड साइडिंग (जीएसएस) तथा निजी वॉशरी से कोयले की लोडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र को वरीयता देने का आदेश जारी किया है।

(ग) : सीईए द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए ताप विद्युत संयंत्रों के पास, दिनांक 27.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध कोयला भंडार लगभग 29.5 एमटी था, जो टीपीपी द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक मानक कोयला भंडार का लगभग 52% था। दिनांक 27.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध भंडार इन विद्युत संयंत्रों को औसतन 11 दिनों के लिए 85% पीएलएफ पर चलाने के लिए पर्याप्त है।

(घ) : कोयला परिवहन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे ने विद्युत घरों में कोयला लोड करने के लिए रेकों की तैनाती बढ़ा दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2022) के दौरान, इस अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र को कोयले की लोडिंग 434 रैक प्रतिदिन की गई है जो कि वर्ष 2021-22 की इसी अवधि की तुलना में 32% अधिक है। जुलाई, 2022 (13 तारीख तक) में, विद्युत क्षेत्र में कोयले की लोडिंग 425 रैक प्रतिदिन की गई है, जो जुलाई, 2021 की इसी अवधि की तुलना में 41% अधिक है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3183

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

बिजली के शॉट सर्किट और इलेक्ट्रोक्वैशन से नुकसान

3183. डॉ. मनोज राजोरिया:

श्रीमती रंजीता कोली:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में हर वर्ष शॉट सर्किट और इलेक्ट्रोक्वैशन के कारण जान-माल का नुकसान होता है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने मेक-इन-इंडिया और स्टार्ट-अप पहल के अंतर्गत बिजली के शॉट सर्किट को रोकने के लिए कोई प्रभावी योजना बनाई है या कोई उपकरण विकसित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में शॉट सर्किट और इलेक्ट्रोक्वैशन से होने वाली आग और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सरकारी या निजी संस्थानों जैसे कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों आदि में इलेक्ट्रोक्वैशन प्रूफ डिवाइस जैसे कोई उपकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पूरे देश में प्रतिवर्ष इलेक्ट्रिक शॉट सर्किट के कारण जानमाल की हानि होती है। विभिन्न विद्युत यूटीलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान हुई इलेक्ट्रिकल दुर्घटनाओं की संख्या तथा मृत अथवा घायल हुए व्यक्तियों/पशुओं की संख्या के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं। अभी तक वर्तमान वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े के संबंध में डेटा वार्षिक रूप से संग्रहीत किए जाते हैं। विद्युत यूटीलिटियों द्वारा इलेक्ट्रिकल दुर्घटनाओं के कारण संपत्ति की हानि से संबंधित आंकड़ों की सूचना नहीं दी जाती है।

(ख) : प्रणाली में सुरक्षा एवं संरक्षा उपकरण लागू विनियमों तथा तकनीकी मानकों के अनुसार उपलब्ध कराए जाने अपेक्षित हैं। सामान्यतया प्रयुक्त अपेक्षित सुरक्षा एवं संरक्षा उपकरण संबंधित भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा भारत में विनिर्मित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : जनहानि से बचाव के लिए, सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में अर्थ दोष अथवा करंट लीक करने पर विद्युत आपूर्ति तुरंत कट जाने का प्रावधान पहले ही किया गया है। इन विनियमों में अधिदेशित है कि 5 किलोवाट से कम के ऐसे प्रत्येक विद्युतीय संस्थापन जिसकी वोल्टेज 250 वोल्टेज से अधिक न हो और वे संस्थापन जिनकी वोल्टेज 250 वोल्टेज से अधिक न हो जिन पर अधिनियम की धारा 54 के प्रावधान लागू नहीं होते, इनका नियंत्रण एक अर्थ लीकेज प्रोटेक्टिव डिवाइस द्वारा किया जाएगा ताकि अर्थ दोष अथवा करंट लीक होने पर आपूर्ति तुरंत काटी जा सके।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3183 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अखिल भारतीय विद्युत दुर्घटनाएं
वर्ष 2019-20 के लिए राज्य-वार आंकड़े

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादक स्टेशन/माघरण/वितरण												उपभोग/ताओकी औद्योगिक प्रतिष्ठान								औद्योगिक के अलावा अन्य उपभोग/ताओकी के प्रतिष्ठान								कुल							
	उत्पादक स्टेशन				परिष्कार प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकाय/स्थायीय प्राधिकरण के स्वामित्व				निजी कंपनियों के स्वामित्व				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकाय/स्थायीय प्राधिकरण के स्वामित्व				निजी कंपनियों के स्वामित्व					व्यक्ति (यों)						
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु									
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक								
पश्चिमी क्षेत्र																																				
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	208	74	220	2	1	1	0	0	3	0	0	0	24	3	4	0	1	0	0	0	165	18	30	0	755			
महाराष्ट्र	1	3	0	0	20	26	3	0	705	637	1944	5	4	2	2	0	37	4	0	0	56	10	27	0	62	6	2	0	561	55	95	0	4267			
छत्तीसगढ़	0	4	0	0	35	16	19	0	85	33	260	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	0	0	0	10	0	2	0	45	5	4	0	527			
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	5	19	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
गुजरात	1	0	0	0	47	54	56	0	254	139	414	0	11	4	0	0	37	5	0	0	5	4	14	0	64	7	3	0	221	13	5	0	1358			
																											कुल	6939								
दक्षिणी क्षेत्र																																				
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	292	53	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	7	5	0	710	
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	9	2	8	0	23	7	0	0	0	0	0	0	55			
केरल	1	0	0	0	3	4	0	0	90	119	41	2	0	1	0	0	4	1	1	0	0	5	5	1	6	0	0	0	118	19	13	0	434			
तमिलनाडु	0	0	0	0	61	57	16	0	86	44	42	0	0	1	0	0	13	1	0	0	0	1	0	0	79	6	13	0	12	0	0	0	432			
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	80	
																											कुल	1711								
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र																																				
असम	0	0	0	0	5	6	0	0	68	24	24	77	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	7	4	0	0	225		
मिजोरम	घातक:- 29, गैर-घातक:-28																											57								
नागालैंड	घातक:- 01, गैर-घातक:-03																											4								
मणिपुर	घातक:- 06, गैर-घातक:-06																											12								
मेघालय	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
त्रिपुरा	2	9	7	0	0	2	0	0	0	4	5	0	0	5	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	0	0	0	0	0	55			
अरुणाचल प्रदेश	घातक:- 29, गैर-घातक:-28																											57								
																											कुल	410								
पूर्वी क्षेत्र																																				
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	48	31	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
बिहार	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	61	14	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
सिक्किम	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
ओडिशा	1	0	0	0	1	0	0	0	138	62	37	2	0	0	0	0	1	2	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2	3	0	287
																											कुल	498								
उत्तरी क्षेत्र																																				
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	113	35	15	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	179	
हिमाचल प्रदेश	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
जम्मू एवं कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
पंजाब	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
राजस्थान	0	0	0	0	19	17	13	0	28	35	41	0	19	13	3	0	6	3	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	78	68	75	0	424			
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	18	9	15	0	1132	479	2021	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	56	6	1	0	3753			
उत्तराखंड	0	0	0	0	2	0	0	0	53	38	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	
दिल्ली	0	0	0	0	3	2	0	0	16	13	2	0	1	0	0	0	20	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	75	3	1	0	140		
																											कुल	4640								
अन्य																																				
खदान	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
रेलवे	0	0	0	0	0	0	2	0	0	27	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
																											कुल	97								
संघ राज्य क्षेत्र																																				
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	
पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	8	
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	113	35	15	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	179	
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0				
																											कुल	195								
अखिल भारत कुल																											14490									
एनए=उपलब्ध नहीं																																				

अखिल भारतीय विद्युत दुर्घटनाएं
वर्ष 2020-21 के लिए राज्य-वार आंकड़े

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादक स्टेसन/पारेषण/वितरण												उपभोक्ताओं की औद्योगिक प्रतिष्ठान												औद्योगिक के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान												कुल
	उत्पादक स्टेसन				पारेषण प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व				निजी कंपनियों के स्वामित्व				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व				निजी कंपनियों के स्वामित्व				व्यक्ति (शौ)								
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु						
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक							
पश्चिमी क्षेत्र																																					
ब्रेक अप उपलब्ध नहीं है																																					
मध्य प्रदेश	0	0	15	17	10	18	1	3	730	540	1186	5	2	0	9	0	25	3	0	0	0	31	2	9	0	33	2	0	0	584	24	52	0	629			
महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	446	230	687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3301				
छत्तीसगढ़	28	2	45	0	28	22	87	0	105	30	144	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	69	5	3	0	575					
गोवा	0	0	0	0	1	2	0	0	2	15	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24				
गुजरात	0	3	0	0	22	51	63	0	261	146	318	0	4	1	2	0	0	31	1	0	0	0	0	5	0	10	0	47	9	3	0	1245					
कुल																											5774										
दक्षिणी क्षेत्र																																					
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	383	90	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	5	0	0	912					
कर्नाटक	0	0	0	0	2	2	0	0	446	230	687	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	21	0	34	4	6	0	4	0	0	0	1447					
केरल	0	0	0	0	1	3	0	0	104	136	47	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	3	1	0	0	129	21	13	0	466					
तमिलनाडु	1	0	0	0	40	18	56	2	141	55	29	0	5	1	3	0	0	33	4	1	0	9	0	0	0	54	4	5	0	503							
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	51	9	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	10	0	17	1	26	0	245					
कुल																											3573										
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र																																					
असम	0	0	0	0	10	2	14	0	50	20	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0	155				
मिजोरम	घातक: 13, गैर-घातक: 20																											33									
नागालैंड	0	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6					
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12					
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
त्रिपुरा	1	2	0	0	14	2	5	0	1	4	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	0	0	0	50					
अरुणाचल प्रदेश	घातक: 06, गैर-घातक: 270																											276									
कुल																											532										
पूर्वी क्षेत्र																																					
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	47	45	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					
बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19					
झारखंड	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0					
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
ओडिशा	0	0	0	0	10	0	0	0	109	50	40	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	2	0	0	1	0	0	0	0	231					
कुल																											351										
उत्तरी क्षेत्र																																					
हरियाणा	17	4	7	0	1	0	0	0	145	73	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	1	0	0	0	290					
हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	2	0	0	13	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	69					
जम्मू एवं कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0					
पंजाब	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0					
राजस्थान	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0					
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	17	5	23	0	1113	356	1617	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	8	0	9	0	0	0	63	15	8	0	3248			
उत्तराखंड	0	0	0	0	35	29	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120					
दिल्ली	0	0	0	0	2	6	1	0	11	21	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	3	0	0	0	11	2	0	0	53	4	0	0	125			
कुल																											3852										
अन्य																																					
खटवान	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0					
केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठान	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2					
रेलवे	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0					
कुल																											2										
संघ राज्य क्षेत्र																																					
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7					
चंडीचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3					
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2					
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
लक्षद्वीप	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0					
कुल																											12										
अखिल भारत कुल																											14096										

एनए = उपलब्ध नहीं

**अखिल भारतीय विद्युत दूरदर्शन
वर्ष 2021-22* के लिए राज्य-वार आंकड़े**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादक स्टेसन/पारेषण/वितरण																												उपभोक्ताओंकी औद्योगिक प्रतिष्ठान								औद्योगिक के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान												कुल दूरदर्शन
	उत्पादक स्टेसन				पारेषण प्रणाली				वितरण प्रणाली				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व				निजी कंपनियों के स्वामित्व				सरकारी/अर्ध-सरकारी निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व				निजी कंपनियों के स्वामित्व				व्यक्ति (यौ)																				
	मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु		मानव		पशु																		
	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक	घातक	गैर-घातक																			
पश्चिमी क्षेत्र																																																	
मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं																																																
महाराष्ट्र	5	4	14	0	16	20	23	0	587	498	1099	1	11	8	16	0	32	4	1	0	17	4	5	0	33	3	1	0	545	41	57	0																	
छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं																																																
गोवा	0	0	0	0	0	2	0	0	3	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0																		
गुजरात	0	2	0	0	27	47	81	0	230	130	328	0	3	1	3	0	28	3	0	0	8	1	8	0	26	5	5	0	236	7	3	0																	
कुल																												4259																					
दक्षिणी क्षेत्र																																																	
आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं																												0																				
कर्नाटक	उपलब्ध नहीं																												0																				
केरल	उपलब्ध नहीं																												0																				
तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	1	0	94	35	107	0	29	19	31	0	39	18	22	0	21	4	4	0	29	9	11	0	34	5	8	0																	
तेलंगाना	0	0	0	0	1	0	0	0	143	19	395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	10	2	10	0																	
कुल																												1106																					
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र																																																	
असम	0	0	0	0	10	7	0	0	55	17	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
मिजोरम	0	0	0	0	8	0	0	0	2	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0																		
नागालैंड	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
मणिपुर	उपलब्ध नहीं																												0																				
मेघालय	उपलब्ध नहीं																												0																				
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1	6	0	2	4	2	0	1	5	3	0	4	0	0	0	0	3	2	0	0	5	2	1	0	0	0	2	0																
अरुणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं																												0																				
कुल																												211																					
पूर्वी क्षेत्र																																																	
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	83	91	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
बिहार	उपलब्ध नहीं																												0																				
झारखंड	उपलब्ध नहीं																												0																				
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
अंडिशा	उपलब्ध नहीं																												0																				
कुल																												196																					
उत्तरी क्षेत्र																																																	
हरियाणा	उपलब्ध नहीं																												0																				
हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं																												0																				
जम्मू एवं कश्मीर	उपलब्ध नहीं																												0																				
पंजाब	उपलब्ध नहीं																												0																				
राजस्थान	उपलब्ध नहीं																												0																				
उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं																												0																				
उत्तराखंड	उपलब्ध नहीं																												0																				
दिल्ली	उपलब्ध नहीं																												0																				
कुल																												0																					
अन्य																																																	
खदान	उपलब्ध नहीं																												0																				
केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठान	उपलब्ध नहीं																												0																				
रेलवे	उपलब्ध नहीं																												0																				
कुल																												0																					
संघ राज्य क्षेत्र																																																	
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	उपलब्ध नहीं																												0																				
पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
चंडीगढ़	उपलब्ध नहीं																												0																				
दादरा एवं नगर हवेली	उपलब्ध नहीं																												0																				
दमन एवं दीव	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
लकाद्वीप	उपलब्ध नहीं																												0																				
कुल																												4																					
अखिल भारत कुल																												5776																					

*विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत वृत्तियों द्वारा अब तक रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3184

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न प्रदूषण

3184. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) भविष्य में कोयले पर बिजली संयंत्रों की निर्भरता को कम करने या समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से व्यापक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा यथा अधिसूचित, उत्सर्जन मानकों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। इन मानदंडों के अनुपालन की सीपीसीबी और राज्य एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ताप विद्युत संयंत्र दक्षता में सुधार के लिए सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं, जिससे कोयले की खपत और उत्सर्जन में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट संचयी संस्थापित विद्युत क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3192

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

3192. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युत की कुल मांग और आपूर्ति कितनी है तथा सरकार द्वारा विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
- (ख) देश में उत्पन्न तापीय, जल, सौर, पवन और परमाणु विद्युत की स्रोत और स्थान-वार मात्रा कितनी है;
- (ग) सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और विद्युत के नुकसान एवं चोरी की रोकथाम करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (घ) विद्युत उत्पादन क्षेत्र में किस सीमा तक निजी क्षेत्र की भागीदारी है; और
- (ङ) निजी क्षेत्र से किस दर पर बिजली की खरीद की जा रही है और किस दर पर उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्तमान वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि) के दौरान अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं। हमारे पास विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संस्थापित क्षमता है। इसके अतिरिक्त, देश में विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि की पूर्ति के लिए, देश में कुल 27,550 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाएं (39 इकाईयां) निर्माणाधीन हैं। इसके साथ-साथ, देश में कुल 14,103.5 मेगावाट की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) भी कार्यान्वित की जा रही हैं और 60,660 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं (सौर, पवन, लघु जलविद्युत) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 8,700 मेगावाट क्षमता के न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं और 7000 मेगावाट के न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति दी गई है।

(ख) : वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान पारंपरिक स्रोतों (बृहत जलविद्युत परियोजनाओं सहित) से स्रोत-वार और स्थल-वार विद्युत उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं और वर्तमान वर्ष (जून, 2022 तक) के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ग) : केंद्र सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को बनाए रखने और विद्युत की हानियों और विद्युत की चोरी को रोकने के लिए किए गए उपायों के ब्यौरे अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

(घ) : विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का हिस्सा (दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार) संस्थापित क्षमता का 49.48% है।

(ङ) : वर्ष 2020-21 (अंतिम) के लिए निजी क्षेत्र से विद्युत की खरीद किए जाने की औसत दर 390.70 पैसे/केडब्ल्यूएच है। डिस्कॉमों द्वारा विद्युत की दर सहित उसकी खरीद के लिए सीईआरसी/एसईआरसी द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की औसत दरें, संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा निर्धारित अनुबंध-V में दी गई हैं।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3192 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक की अवधि) के दौरान वास्तविक अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]			
	ऊर्जा की मांग	ऊर्जा की आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2022-23 (जून, 2022 तक)(*)	404,761	400,654	4,107	1.0

(*) अनंतिम

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3192 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान पारंपरिक स्रोतों (बृहत हाइड्रो सहित) से विद्युत उत्पादन का स्रोत-वार और स्थल-वार ब्यौरा।

क्षेत्र	राज्य	स्रोत	ईंधन	दिनांक 30.06.2022 तक निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक)
					उत्पादन (एमयू में)
उत्तरी क्षेत्र	दिल्ली		प्राकृतिक गैस	2208.4	1415.86
	हरियाणा	थर्मल	कोयला	5330	8807.94
			प्राकृतिक गैस	431.59	2.55
	जम्मू एवं कश्मीर	थर्मल	हाई स्पीड डीजल	175	0
	पंजाब	थर्मल	कोयला	5680	8358.67
	राजस्थान	थर्मल	कोयला	8900	12384.86
			लिग्नाइट	1580	2059.9
			प्राकृतिक गैस	1022.83	341.68
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1180	1930.41
	उत्तर प्रदेश	थर्मल	कोयला	24389	41080.57
			लिग्नाइट	0	0
			प्राकृतिक गैस	1493.14	574.34
	न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	440	503.79	
उत्तराखंड	थर्मल	प्राकृतिक गैस	450	0	
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	थर्मल	कोयला	23688	35257.83
	गोवा	थर्मल	नापथा	48	0
	गुजरात	थर्मल	कोयला	14692	15913.37
			लिग्नाइट	1400	1548.4
			प्राकृतिक गैस	7551.41	844.34
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	440	939.92
	मध्य प्रदेश	थर्मल	कोयला	21950	37979.05
	महाराष्ट्र	थर्मल	कोयला	23856	34428.49
			प्राकृतिक गैस	3207.08	985.37
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1400	2371.16
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	थर्मल	कोयला	11590	15843.56
			डीजल	36.8	0
			प्राकृतिक गैस	4898.544	338.27
	कर्नाटक	थर्मल	कोयला	9480	10931.86
			डीजल	25.2	0
			प्राकृतिक गैस	0	0
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	880	1934.04
	केरल	थर्मल	डीजल	159.96	0.12
			नापथा	533.58	0
	पुदुचेरी	थर्मल	प्राकृतिक गैस	32.5	56.43
	तमिलनाडु	थर्मल	कोयला	10045	11560.52
			डीजल	211.701	0
			लिग्नाइट	3640	6524.19
			नापथा	120	0.83
			प्राकृतिक गैस	897.18	511.02
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	2440	3233.97
तेलंगाना	थर्मल	कोयला	7842.5	13573.89	
पूर्वी क्षेत्र	अंडमान - निकोबार	थर्मल	डीजल	40.048	30.59
	बिहार	थर्मल	कोयला	8400	14383.62
	झारखंड	थर्मल	कोयला	4250	7876.63
	ओडिशा	थर्मल	कोयला	9540	15820.61
	पश्चिम बंगाल	थर्मल	कोयला	13697	22331.8
		हाई स्पीड डीजल	80	0	
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	असम	थर्मल	कोयला	750	1419.76
			प्राकृतिक गैस	620.355	873.34
	मणिपुर	थर्मल	डीजल	36	0
	त्रिपुरा	थर्मल	प्राकृतिक गैस	1099.6	1556.91
कुल जोड़:				242858.42	336530.46

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3192 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्तमान वर्ष (जून, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) से विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) से राज्य-वार, स्रोत-वार और ईंधन-वार उत्पादन							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पवन	सौर	बायोमास	बैगस	लघु हाइड्रो	अन्य	(सभी आंकड़े एमयू में) नवीकरणीय ऊर्जा कुल
चंडीगढ़	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
दिल्ली	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00	66.16	131.49
हरियाणा	0.00	189.12	89.10	62.88	66.48	13.65	421.23
हिमाचल प्रदेश	0.00	16.47	0.00	0.00	584.44	0.00	600.91
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	123.97	0.00	123.97
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	552.51	137.51	44.68	167.71	0.00	902.40
राजस्थान	2652.50	8332.85	90.96	0.00	0.23	0.00	11076.55
उत्तर प्रदेश	0.00	971.57	26.35	562.49	34.85	7.90	1603.16
उत्तराखंड	0.00	82.95	0.00	62.13	88.35	0.00	233.43
उत्तरी क्षेत्र	2652.50	10214.06	343.92	732.18	1066.03	87.71	15096.40
छत्तीसगढ़	0.00	128.97	365.04	0.60	13.02	0.00	507.63
गुजरात	6676.89	2606.35	0.00	2.86	35.65	2.24	9323.99
मध्य प्रदेश	1796.90	1182.64	5.36	22.15	27.37	11.08	3045.50
महाराष्ट्र	2294.82	979.83	81.50	1028.61	172.68	0.16	4557.60
दादरा एवं नगर हवेली	0.00	10.07	2.42	0.00	0.00	0.00	12.49
दमन एवं दीव	0.00	6.13	0.81	0.00	0.00	0.00	6.94
गोवा	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	1.27	2.53
पश्चिमी क्षेत्र	10768.60	4915.25	455.12	1054.22	248.72	14.76	17456.67
आंध्र प्रदेश	2298.76	2170.86	24.79	44.89	39.35	59.98	4638.63
तेलंगाना	70.11	1789.26	15.42	7.16	6.49	42.87	1931.29
कर्नाटक	2704.92	3684.96	38.69	489.43	304.48	0.00	7222.48
केरल	35.68	146.94	0.00	13.32	187.99	0.00	383.93
तमिलनाडु	5478.45	2160.52	30.66	154.25	26.06	0.00	7849.94
लक्षद्वीप	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
पुदुचेरी	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
दक्षिणी क्षेत्र	10587.91	9955.64	109.56	709.05	564.36	102.85	22029.36
अंडमान - निकोबार	0.00	7.04	0.00	0.00	2.83	0.00	9.87
बिहार	0.00	46.21	0.00	0.00	0.46	0.00	46.67
झारखंड	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59
ओडिशा	0.00	180.51	17.24	0.00	40.86	0.00	238.61
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	3.09
पश्चिम बंगाल	0.00	31.59	0.00	0.00	43.07	413.78	488.44
पूर्वी क्षेत्र	0.00	270.93	17.24	0.00	90.32	413.78	792.27
अरुणाचल प्रदेश	0.00	12.56	0.00	0.00	1.26	0.00	13.82
असम	0.00	38.53	0.00	0.00	15.01	0.00	53.54
मणिपुर	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	20.47
मिजोरम	0.00	0.89	0.00	0.00	1.03	0.00	1.92
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79	0.00	18.79
त्रिपुरा	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	0.00	55.52	0.00	0.00	56.56	0.00	112.08
कुल	24009.02	25411.40	925.84	2495.45	2025.98	619.10	55486.79

वर्तमान वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान बृहत हाइड्रो से राज्य-वार, स्रोत-वार और ईंधन-वार उत्पादन (
क्षेत्र	राज्य	स्रोत	ईंधन	दिनांक 30.06.2022 तक निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक)
					उत्पादक (एमयू में)
उत्तरी क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	10263.02	10325.19
	जम्मू एवं कश्मीर	हाइड्रो	हाइड्रो	3360	5942.96
	लद्दाख	हाइड्रो	हाइड्रो	89	108.64
	पंजाब	हाइड्रो	हाइड्रो	1096.3	956.32
	राजस्थान	हाइड्रो	हाइड्रो	411	65.19
	उत्तर प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	501.6	194.47
	उत्तराखंड	हाइड्रो	हाइड्रो	3975.35	3833.33
पश्चिमी क्षेत्र	छत्तीसगढ़	हाइड्रो	हाइड्रो	120	59.17
	गुजरात	हाइड्रो	हाइड्रो	1990	530.95
	मध्य प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	2235	764.35
	महाराष्ट्र	हाइड्रो	हाइड्रो	3047	1912.08
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	1610	358.44
	कर्नाटक	हाइड्रो	हाइड्रो	3689.2	3074.98
	केरल	हाइड्रो	हाइड्रो	1856.5	1879
	तमिलनाडु	हाइड्रो	हाइड्रो	2178.2	877.13
	तेलंगाना	हाइड्रो	हाइड्रो	2405.6	193.1
पूर्वी क्षेत्र	झारखंड	हाइड्रो	हाइड्रो	210	23.77
	ओडिशा	हाइड्रो	हाइड्रो	2154.55	1037.54
	सिक्किम	हाइड्रो	हाइड्रो	2282	3462.28
	पश्चिम बंगाल	हाइड्रो	हाइड्रो	1341.2	872.96
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	1115	1279.76
	असम	हाइड्रो	हाइड्रो	350	107.37
	मणिपुर	हाइड्रो	हाइड्रो	105	146.75
	मेघालय	हाइड्रो	हाइड्रो	322	307.85
	मिजोरम	हाइड्रो	हाइड्रो	60	13.4
	नागालैंड	हाइड्रो	हाइड्रो	75	41.01
भूटान (आयात)			हाइड्रो	0	1772.8
कुल:				46842.52	40140.79

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से अखिल भारत कुल

95627.58

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3192 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और विद्युत की हानियाँ और विद्युत की चोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण।

- (i) भारत सरकार ने दिसंबर, 2020 में विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमों को अधिसूचित किया है, जिन्हें पहले जून, 2021 और बाद में अप्रैल, 2022 में संशोधित किया गया था। ये नियम अनुज्ञप्तिधारी के दायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं और उन प्रयासों को निर्धारित करते हैं जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दक्ष, लागत प्रभावी तथा विश्वसनीय और उपभोक्ता अनुकूल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता द्वारा उपयोग में आसानी हो सके। इन नियमों के अनुसार, इन नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत की आपूर्ति के लिए सेवा के न्यूनतम मानक प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त फीडर वार कटौती आंकड़े, कटौतियों को कम करने के लिए किए गए प्रयासों, विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या छेड़छाड़ को रोकन, विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों या मीटर को नुकसान अथवा क्षतिग्रस्त करने और वर्ष के दौरान प्राप्त परिणामों को इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा।
- (ii) भारत सरकार ने देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में एक नई सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटी एंड सी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित 97,631 करोड़ रुपये का जीबीएस है। इस स्कीम के अंतर्गत, एबीसी केबल/भूमिगत केबल/एचवीडीएस, आदि के उपयोग से होने वाली हानियाँ और चोरी को कम करने के उपायों सहित, 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए स्काडा, संचारी प्रणाली मीटरिंग और स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग सहित प्रणाली आधुनिकीकरण, आदि वितरण अवसंरचना के उन्नयन के लिए पात्र डिस्कॉमों अर्थात् सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों को छोड़कर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इससे विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने और एटीएंडसी हानियों के लक्ष्य हासिल करने के लिए विद्युत की चोरी सहित हानियों को कम करने में मदद मिलेगी।
- (iii) विद्युत अधिनियम, 2003 में चोरी का पता लगाने, चोरी से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना और चुराई गई विद्युत के प्रभारों की वसूली के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- (iv) टैरिफ नीति, 2016 में यह अधिदेशित है कि विद्युत की चोरी को कम करने के लिए, वितरण कंपनियों में वितरण प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रकार्यों के साथ वितरण स्काडा जैसी सुविधा होनी चाहिए।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3192 के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत की अनुमानित औसत दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)

क्रम सं.	राज्य/मुद्रिस्ट्री का नाम	से प्रभावी तारीख	घरेलू			वाणिज्यिक					कृषि			सपु उद्योग 10 के.डब्ल्यू (1500 के.डब्ल्यू/माह)	मध्यम उद्योग 50 के.डब्ल्यू (7500 के.डब्ल्यू/माह)	शुद्ध उद्योग (11केबी 1000के.डब्ल्यू 60%एस.एफ (438000 के.डब्ल्यू/माह)	शारी उद्योग (11केबी) 10000 के.डब्ल्यू एस.एफ. (8760000 के.डब्ल्यू/माह)	शारी उद्योग (33 केबी) 20000 के.डब्ल्यू 60% एस.एफ. (8760000 के.डब्ल्यू/माह)	रेलवे टूरिज्म 12500 के.डब्ल्यू (25000000 के.डब्ल्यू/माह)		
			1 के.डब्ल्यू (100 के.डब्ल्यू/माह)	4 के.डब्ल्यू (400 के.डब्ल्यू/माह)	10 के.डब्ल्यू (1000 के.डब्ल्यू/माह)	2 के.डब्ल्यू (300 के.डब्ल्यू/माह)	10 के.डब्ल्यू (1500 के.डब्ल्यू/माह)	30 के.डब्ल्यू (4500 के.डब्ल्यू/माह)	50 के.डब्ल्यू (7500 के.डब्ल्यू/माह)	2 एचपी (400 के.डब्ल्यू/माह)	5 एचपी (1000 के.डब्ल्यू/माह)	10 एचपी (2000 के.डब्ल्यू/माह)									
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	01.06.2020	245.00	546.00	666.00	827.00	1092.00	1164.00	1178.00	181.00	181.00	181.00	770.00	824.00	-	-	-	-	-		
2	अंध्र प्रदेश	01.04.2020	266.00	592.00	823.00	902.00	1030.00	1057.00	1063.00	350.00	#	350.00	#	350.00	773.00	773.00	773.00	773.00	763.00		
3	अरुणाचल प्रदेश	01.06.2018	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	310.00		310.00	310.00	430.00	385.00	385.00	385.00	385.00	-		
4	असम	01.04.2020	588.00	722.00	782.00	868.00	868.00	909.00	909.00	485.00	485.00	485.00	583.00	762.00	725.00	725.00	725.00	725.00	826.00		
5	बिहार	01.04.2020	684.00	814.00	891.00	853.00	900.00	908.00	909.00	599.00	599.00	599.00	867.00	895.00	852.00	-	-	840.00	132 के.बी	900.00	132 के.बी पर
6	पश्चिम बंगाल	01.06.2020	294.00	422.00	492.00	593.00	627.00	634.00	635.00	290.00	290.00	290.00	511.00	614.00	557.00	557.00	557.00	557.00	-	-	
7	छत्तीसगढ़	01.04.2020	348.00	469.00	693.00	720.00	915.00	932.00	932.00	480.00	480.00	480.00	556.00	645.00	983.00	983.00	983.00	937.00	661.00	132 के.बी पर	
8	दार्जिलिंग एवं नगर हकेरी	01.06.2020	195.00	241.00	301.00	403.00	429.00	433.00	434.00	80.00	80.00	80.00	458.00	531.00	590.00	590.00	590.00	590.00	-	-	
9	दमन एवं दीव	01.06.2020	160.00	215.00	266.00	378.00	400.00	403.00	404.00	75.00	75.00	75.00	436.00	436.00	547.00	547.00	547.00	547.00	-	-	
10	दिल्ली (बीकानेर/गुरुग्राम/गोवा/पानीपत/पलवल/पलवल)	01.09.2020	335.00	444.00	678.00	885.00	1177.00	1177.00	1177.00	204.00	204.00	204.00	1089.00	1089.00	942.00	942.00	942.00	933.00	870.00	-	
11	दिल्ली (एनडीएमसी)	01.09.2020	335.00	444.00	678.00	885.00	1177.00	1177.00	1177.00	204.00	204.00	204.00	1089.00	1089.00	942.00	942.00	942.00	933.00	870.00	33 के.बी पर	
12	गोवा	01.06.2020	195.00	283.00	380.00	512.00	576.00	589.00	591.00	179.00	179.00	179.00	482.00	497.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	-	-
13	गुजरात	01.04.2020	394.00	505.00	566.00	562.00	562.00	617.00	672.00	90.00	90.00	90.00	579.00	588.00	551.00	626.00	630.00	630.00	600.00	132 के.बी पर	
14	हरियाणा	01.06.2020	235.00	471.00	720.00	645.00	715.00	893.00	893.00	10.00	10.00	10.00	757.00	870.00	838.00	838.00	838.00	826.00	875.00	11 के.बी पर	
15	हिमाचल प्रदेश	01.06.2020	479.00	504.00	538.00	598.00	670.00	670.00	670.00	432.00	417.00	417.00	494.00	642.00	649.00	649.00	649.00	662.00	819.00	66 के.बी पर	
16	जम्मू एवं कश्मीर	01.10.2016	200.00	307.00	369.00	420.00	656.00	656.00	656.00	85.00	85.00	85.00	418.00	416.00	441.00	441.00	429.00	429.00	-	-	
17	झारखंड	01.10.2020	720.00	668.00	657.00	680.00	697.00	697.00	697.00	512.00	512.00	512.00	760.00	716.00	649.00	649.00	649.00	627.00	839.00	25 के.बी पर	
18	कर्नाटक	01.11.2020	617.00	844.00	912.00	912.00	1050.00	1065.00	1067.00	0.00	0.00	0.00	800.00	909.00	885.00	891.00	891.00	890.00	831.00	-	
19	केरल	08.07.2019	422.00	879.00	1019.00	861.00	1070.00	1116.00	1116.00	257.00	257.00	257.00	748.00	856.00	863.00	867.00	866.00	866.00	866.00	677.00	110 के.बी पर
20	केरल (सिटी)	01.06.2020	155.00	418.00	578.00	792.00	918.00	939.00	944.00	687.00	687.00	687.00	587.00	687.00	958.00	958.00	958.00	958.00	671.00	-	
21	केरल प्रदेश	26.12.2020	611.00	708.00	763.00	846.00	852.00	946.00	947.00	523.00	579.00	605.00	952.00	952.00	803.00	803.00	803.00	856.00	762.00	132/220 के.बी पर	
22	महाराष्ट्र	01.04.2020	686.00	1028.00	1311.00	1248.00	1118.00	1853.00	1853.00	351.00	351.00	351.00	768.00	1073.00	1038.00	1038.00	1038.00	1038.00	1043.00	-	
23	मणिपुर	01.04.2020	480.00	623.00	669.00	727.00	784.00	794.00	795.00	442.00	442.00	442.00	483.00	707.00	814.00	814.00	814.00	-	-		
24	मेघालय	01.04.2020	435.00	548.00	600.00	776.00	808.00	813.00	814.00	347.00	347.00	347.00	685.00	795.00	795.00	795.00	795.00	750.00	-	-	
25	मिजोरम	01.04.2020	380.00	518.00	555.00	573.00	613.00	620.00	621.00	309.00	309.00	309.00	565.00	580.00	645.00	645.00	645.00	-	-		
26	मणिपुर	01.04.2020	523.00	618.00	667.00	812.00	874.00	885.00	887.00	310.00	310.00	310.00	633.00	673.00	730.00	730.00	730.00	-	-		
27	ओडिशा	01.05.2020	374.00	496.00	566.00	658.00	738.00	752.00	754.00	161.00	158.00	158.00	625.00	669.00	665.00	665.00	640.00	671.00	671.00		
28	पुद्दुचेरी	01.06.2020	190.00	373.00	503.00	686.00	729.00	736.00	738.00	0.00	एस	0.00	एस	604.00	657.00	657.00	642.00	642.00	-	-	
29	पंजाब	01.06.2020	547.00	759.00	856.00	834.00	870.00	881.00	881.00	557.00	इन्स्पु स	557.00	इन्स्पु स	741.00	798.00	889.00	852.00	889.00	930.00	132 के.बी पर	
30	राजस्थान	01.02.2020	833.00	830.00	845.00	1022.00	1046.00	1155.00	1157.00	574.00	574.00	574.00	793.00	868.00	763.00	-	745.00	710.00	-	-	
31	सिक्किम	01.04.2020	150.00	288.00	355.00	483.00	599.00	698.00	702.00	-	-	-	567.00	657.00	799.00	799.00	799.00	-	-		
32	तमिलनाडु	11.08.2017	85.00	470.00	584.00	841.00	891.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	685.00	760.00	760.00	760.00	760.00	842.00	-		
33	तेलंगाना	01.04.2018	239.00	669.00	821.00	911.00	1011.00	1034.00	1039.00	258.00	\$	253.00	\$	252.00	\$	731.00	800.00	800.00	747.00	632.00	33 के.बी पर
34	त्रिपुरा	01.09.2020	548.00	643.00	793.00	743.00	826.00	826.00	826.00	394.00	394.00	394.00	513.00	796.00	821.00	-	-	-	-	-	
35	उत्तर प्रदेश	20.11.2020	693.00	739.00	801.00	1043.00	1219.00	1248.00	1254.00	665.00	665.00	665.00	1003.00	985.00	985.00	985.00	985.00	944.00	1271.00	132 के.बी से कम	
36	उत्तराखण्ड	01.04.2020	355.00	478.00	574.00	657.00	670.00	670.00	670.00	235.00	235.00	235.00	928.00	978.00	911.00	911.00	911.00	701.00	1235.00	132 के.बी पर अधिक	
37	पश्चिम बंगाल	01.04.2020	654.00	869.00	967.00	906.00	1054.00	1071.00	1075.00	510.00	510.00	510.00	782.00	921.00	964.00	964.00	958.00	936.00	25 के.बी पर		
38	उत्तराखण्ड (आहमदाबाद)	01.04.2020	437.00	503.00	544.00	596.00	612.00	704.00	704.00	330.00	330.00	330.00	561.00	645.00	588.00	588.00	588.00	-	-		
39	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.04.2020	423.00	507.00	556.00	578.00	720.00	720.00	720.00	70.00	70.00	70.00	530.00	660.00	624.00	624.00	624.00	-	-		
40	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.04.2019	613.00	852.00	960.00	883.00	1063.00	1075.00	1079.00	-	-	-	780.00	922.00	887.00	887.00	860.00	775.00	-		
41	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.04.2019	444.00	591.00	630.00	583.00	657.00	651.00	651.00	242.00	242.00	242.00	512.00	618.00	626.00	626.00	451.00	661.00	-		
42	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.10.2020	520.00	465.00	456.00	495.00	459.00	453.00	452.00	317.00	317.00	317.00	617.00	617.00	540.00	540.00	524.00	524.00	-		
43	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.04.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617.00	617.00	646.00	132 के.बी पर	
44	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.04.2020	476.00	739.00	1010.00	989.00	865.00	1127.00	1127.00	-	-	-	743.00	997.00	851.00	851.00	851.00	-	-		
45	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.04.2020	626.00	798.00	977.00	1069.00	945.00	1243.00	1243.00	557.00	557.00	557.00	827.00	1097.00	910.00	910.00	910.00	-	-		
45	उत्तराखण्ड (सुपुल)	01.04.2020	545.00	806.00	1053.00	1027.00	902.00	1164.00	1164.00	-	-	-	773.00	1022.00	877.00	877.00	877.00	-	821.00	33/22 के.बी पर	

* पश्चिम बंगाल में आईटीएस के लिए 23:00 बजे से 06:00 बजे तक टीआरडी दरिया।

नोट: वर्ष 2019-20 के लिए सि

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3202
जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है ।
नई ऊर्जा नीति

3202. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के लिए कोई नई ऊर्जा नीति तैयार की है/तैयार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
- (ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (घ) क्या सरकार ने वर्ष 2040 तक ऊर्जा की मांग के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार इस बढ़ती हुई मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

(क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : जहां तक विद्युत की मांग का संबंध है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) देश की विद्युत मांग का प्राक्कलन करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (क) के अंतर्गत यथा निर्धारित मध्यम और लंबी अवधि के आधार पर देश में हर पांच वर्ष में इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) आयोजित करता है। 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) रिपोर्ट, जनवरी, 2017 में प्रकाशित, में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2026-27 के लिए विद्युत मांग अनुमान के साथ-साथ प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2031-32 और वर्ष 2036-37 के लिए विद्युत मांग शामिल है। वर्ष 2031-32 और वर्ष 2036-37 में मांग क्रमशः 2530 बीयू और 3049 बीयू होने का अनुमान है।

बढ़ती मांग के अनुरूप देश में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए नियोजित मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं:

- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन से संस्थापित क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना
- देश में 27,550 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं।
- देश में 14103.50 मेगावाट क्षमता के जल विद्युत संयंत्र विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं।
- 8,700 मेगावाट क्षमता के न्यूक्लीयर विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं और 7000 मेगावाट के न्यूक्लीयर विद्युत संयंत्रों को प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय संस्वीकृति दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3204
जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन

3204. श्री महाबली सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों पर ही बैटरी बदलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति बनाई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के अभिग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015 में भारत में (हाइब्रिड एवं) विद्युत वाहनों के त्वरित अधिग्रहण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम तैयार की। इस समय फेम इंडिया स्कीम के चरण-II का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- (ii) सरकार ने एडवांस्ड कैमिस्ट्री सैल बैटरी के निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम अनुमोदित की है।
- (iii) इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल तथा ऑटो संघटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के तहत कवर किया गया है।
- (iv) इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% की गई है। चार्जिंग/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई है।

- (v) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट दी है।
- (vi) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने और सहभागी मोबिलिटी के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दिनांक 17.07.2019 को राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

(ग) : पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्ज करने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- (ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों के लिए ग्रिड कनेक्टिविटी और विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा के लिए तकनीकी मानक संबंधी विनियमों में संशोधन जारी किए हैं।
- (iii) देश में ई-मोबिलिटी पारगमन में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.01.2022 को समेकित संशोधित दिशानिर्देश और चार्जिंग अवसंरचना के लिए मानदंड जारी किए गए हैं।
- (iv) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का चयन इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना के संवर्धन के लिए विभिन्न पहलें करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया है।
- (v) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग सहित विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदों के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए दिनांक 19.02.2021 को एक राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया है।
- (vi) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना के लिए 9 प्रमुख शहरों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इन शहरों में वर्ष 2030 तक कुल 46,397 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित करने का लक्ष्य है।
- (vii) सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे परिवर्तनशील गतिशीलता संबंधी भारत सरकार की पहल में शामिल हों और अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े को वर्तमान पेट्रोल/डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करें।
- (viii) फेम-1 के अंतर्गत संस्वीकृत 520 चार्जिंग स्टेशनों के साथ-साथ सरकार ने देश के 68 शहरों में 2877 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और 9 प्रमुख एक्सप्रेसवे तथा 16 राजमार्गों पर 1876 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन संस्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है।
- (ix) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संबंध में मॉडल बिल्डिंग उप-नियम तथा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं, निर्माण और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) : वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के दौरान, यह घोषणा की गई है कि बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान संबंधी बाधाओं पर विचार करते हुए, एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और अंतर-प्रचालकता मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को 'सेवा के रूप में बैटरी अथवा ऊर्जा' के लिए स्थिर एवं नवीन व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ईवी परितंत्र दक्षता में सुधार होगा।
